

GOVERNMENT OF INDIA


 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2019/श्रावण 16, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 133

No. 168]

DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2019/SHRAVANA 16, 1941

[N.C.T.D. No. 133

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2019

फा.सं. 1(100)/FIRST ORDI/SB/DTTE/2018/1589.—नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (दिल्ली अधिनियम – 06, 2018) की धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन से डाक्टरेट की उपाधि कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रमों में दाखिला, परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित अध्यादेश बनाते हैं –

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ –

- (क) यह अध्यादेश नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (प्रथम) अध्यादेश, 2019 कहा जायेगा।
 (ख) यह अध्यादेश दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- i. “आवेदक” का अर्थ होगा, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जिसे यहां बाद में एनएसयूटी कहा जाएगा) के पीएच.डी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र जैसा विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्ट्स में आवेदन करने वाला व्यक्ति।
 ii. “कोर्स वर्क” का अर्थ होगा, सुपरवाइजर के जरिए अनुसंधान अध्ययन बोर्ड (बीआरएस) द्वारा निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसका अनुसरण पीएच.डी डिग्री के लिए पंजीकृत विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा।
 iii. “डीन, फ़ैकेल्टी आफ स्टडीज” का अर्थ होगा एनएसयूटी के अध्ययन संकाय का डीन।

- iv. "डिग्री" का अर्थ होगा नेताजी सुभाष प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलोसफी (पीएच.डी) की डिग्री।
- v. "शैक्षिक संस्थान" का अर्थ होगा ऐसे मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय जो स्नातक उपाधि या उससे उच्चतर डिग्री प्रदान करते हैं।
- vi. "फैकल्टी मेम्बर" का अर्थ होगा, एनएसयूटी के सहायक प्रोफेसर/असोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर, जिनमें पुनर्नियोजित प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर, एमेरिटस प्रोफेसर, अडजंक्ट प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, मानद शिक्षक/प्रोफेसर आदि।
- vii. "एनडीफ" का अर्थ है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा रिसर्च स्कॉलरों को प्रदान की जाने वाली राष्ट्रीय डॉक्टरल फेलोशिप, ताकि वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अनुमोदित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक अनुसंधान कर सकें।
- viii. "रिसर्च काउंसिल" का अर्थ है, विश्वविद्यालय की अनुसंधान परिषद।
- ix. "रजिस्ट्रेशन अवधि" का अर्थ है, विश्वविद्यालय में अस्थायी पंजीकरण की तारीख से लेकर पीएच.डी पाठ्यक्रम पूरा करने तक समूची अवधि।
- x. "रिसर्च स्कॉलर" का अर्थ है, पीएच.डी डिग्री पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत व्यक्ति, जो डिग्री की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए पूर्ण समय दे रहा हो।
- xi. "सेकेंड वर्कप्लेस" का अर्थ है, विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए पूर्ण/आंशिक अनुसंधान कार्य को अंजाम देने के लिए एनएसयूटी द्वारा किसी रिसर्च स्कॉलर को दूसरे कार्य स्थल (सेकेंड वर्क प्लेस) के रूप में अनुमोदित अनुसंधान प्रयोगशाला/अनुसंधान केंद्र/अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षिक संस्थान/अध्ययन संकाय/अत्याधुनिक अध्ययन केंद्र और अनुसंधान/उद्योग/सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान।
- xii. "स्पॉर्स्ट रिसर्च स्कॉलर" का अर्थ है, विश्वविद्यालय के साथ अनुबंधित सरकारी या निजी अनुसंधान एवं विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, उद्योग और प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रायोजित व्यक्ति, जो पीएच.डी डिग्री के लिए पंजीकृत हो और डिग्री की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए पूरा समय दे रहा हो।
- xiii. "सुपरवाइजर" का अर्थ है, रिसर्च स्कॉलर के अनुसंधान/शैक्षिक कार्य की देखरेख के लिए बीआरएस की अनुशंसा पर सीनेट द्वारा अनुमोदित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का संकाय सदस्य अथवा खंड 13 के अनुसार नियुक्त अतिरिक्त सुपरवाइजर।
- xiv. "यूनिवर्सिटी" का अर्थ है, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली।
3. सामान्य दिशानिर्देश—डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम निम्नांकित प्रावधानों के साथ विश्वविद्यालय के सभी विभागों/अध्ययन संकायों द्वारा संचालित किया जाएगा :—
- 3.1 रिसर्च स्कॉलर को अध्यादेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर डिग्री प्रदान किए जाने संबंधी सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।
- 3.2 पीएच.डी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रवेश योग्यताएं अध्यादेश के खंड-5 में वर्णित अनुसार होंगी।
- 3.3 पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत रिसर्च स्कॉलर को अध्यादेश के खंड-17 में वर्णित अनुसार न्यूनतम पंजीकरण अवधि की अपेक्षा पूरी करनी होगी।
- 3.4 रिसर्च स्कॉलर को सम्बद्ध पाठ्यक्रमों के जरिए कम से कम 6.5 संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए) के साथ निर्धारित न्यूनतम अंक (क्रेडिट) अर्जित करने होंगे और अपना अनुसंधान कार्य अध्यादेश के खंड 11 के अनुसार संचालित करना होगा।
- 3.5 रिसर्च स्कॉलर प्रवेश के समय पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
- 3.6 विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा माध्यम के जरिए पीएच.डी पाठ्यक्रम का संचालन नहीं करेगा।
- 3.7 पंजीकरण की पुष्टि होने के बाद, किसी रिसर्च स्कॉलर को उसके अनुसंधान का कुछ हिस्सा किसी अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठन/प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रयोगशाला/देश या विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुसंधान अध्ययन बोर्ड (बीआरएस) के अनुमोदन पर पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे रिसर्च

स्कॉलर के लिए सेकेंड वर्क प्लेस के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, परंतु ऐसे स्थानों पर सम्बद्ध अनुसंधान क्षेत्र में अनुसंधान की समुचित सुविधाएं विद्यमान हों।

3.8 पीएच.डी पंजीकरण की पुष्टि होने के बाद, यदि किसी रिसर्च स्कॉलर को दिल्ली एनसीआर के भीतर किसी संगठन में रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो उसे बिना फेलोशिप के अनुसंधान कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति होगी। परंतु, उसे कार्यालय घंटों से परे और सप्ताहांत पर विश्वविद्यालय में पर्याप्त समय लगाना होगा। यह प्रावधान केवल अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) की अनुशंसा और अनुसंधान अध्ययन बोर्ड (बीआरएस) के अनुमोदन पर ही लागू होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अध्यादेश के अनुसार अन्य सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।

3.9 सफल रिसर्च स्कॉलर को नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अध्यादेश के खंड 22 के अनुसार पीएच.डी डिग्री प्रदान की जाएगी।

3.10 अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त, अन्य एजेंसियों/संगठनों से फेलोशिप के साथ अनुसंधान कर रहे सभी रिसर्च स्कॉलरों को समय समय पर सौंपे जाने वाले अन्य दायित्वों, जैसे इंटरशिप/असाइनमेंट की जांच/इन्विजिलेशन ड्यूटी आदि के अतिरिक्त सप्ताह में 4 से 6 घंटे तक प्रेक्टिकल कक्षाएं/ट्यूटोरियल्स में हिस्सा लेना होगा।

4. अनुसंधान परिषद, अनुसंधान अध्ययन बोर्ड और अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन और उनके कार्य—पीएच.डी पाठ्यक्रम के संचालन और देखरेख के लिए निम्नांकित अनुसंधान परिषद, अनुसंधान अध्ययन बोर्ड और अनुसंधान सलाहकार समिति होंगी :—

4.1 अनुसंधान परिषद—विश्वविद्यालय के सभी अध्ययन संकायों में पीएच.डी पाठ्यक्रम से संबंधित व्यापक नीति दिशा—निर्देश तय करने के लिए एक अनुसंधान परिषद होगी, जिसका संघटन इस प्रकार होगा :—

(i) कुलपति, अध्यक्ष (पदेन)

(ii) विश्वविद्यालय के सभी डीन (पदेन)

परंतु, कोई विशेष मामला विचारित होने की स्थिति में, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष आमंत्रित सदस्यों में शामिल होंगे। डीन शैक्षिक, परिषद के संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

अनुसंधान परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि अध्यादेश का समान रूप से कार्यान्वयन हो और वह सभी अध्ययन संकायों के लिए पीएच.डी पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों और प्रक्रिया संबंधी परामर्श प्रदान करेगी।

4.2 अनुसंधान अध्ययन बोर्ड (बीआरएस)—

(1) पीएच.डी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले ऐसे प्रत्येक अध्ययन संकाय, जिसमें एक या अधिक विभाग/शैक्षिक केंद्र हों, में एक अनुसंधान अध्ययन बोर्ड (बीआरएस) अवश्य होगा। बीआरएस के सभी सदस्यों की योग्यताएं खंड 13 के अनुसार सुपरवाइजरों के रूप में कार्य करने के अनुरूप अवश्य होनी चाहिए। बीआरएस का गठन निम्नांकित रूप में किया जाएगा :

(क) सम्बद्ध संकाय का डीन, अध्यक्ष (पदेन)

(ख) सभी विभागाध्यक्ष, सदस्य (पदेन)

(ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल से दो बाहरी विशेषज्ञ।

(घ) कुलपति द्वारा बारी बारी से प्रत्येक विभाग से एक प्रोफेसर को मनोनीत किया जाएगा, और अगर किसी विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं होगा, तो कुलपति सम्बद्ध विभाग के किसी असोसिएट/सहायक प्रोफेसर को नामित करेगा या फिर किसी अन्य विभाग से प्रोफेसर को मनोनीत करेगा।

अनुसंधान स्कॉलर के सम्बद्ध सुपरवाइजर/सुपरवाइजरों को आवश्यकता पड़ने पर आमंत्रित किया जा सकता है।

बैठक के आयोजन के लिए कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ सहित कुल सदस्यों के न्यूनतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक होगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

(2) सामान्यतः बीआरएस की बैठक हर तीन महीने में अथवा इससे पहले एक बार अवश्य आयोजित की जाएगी, जो अलग अलग मामलों की तात्कालिकता पर निर्भर होगी।

(3) बीआरएस के निम्नांकित उत्तरदायित्व होंगे :

- (i) बीआरएस पीएच.डी पाठ्यक्रम से संबंधित सभी शैक्षिक मामलों की देखरेख करेगी।
- (ii) बीआरएस अध्ययन संकाय के अंतर्गत सभी विभागों के स्कॉलरों की प्रगति पर निगरानी रखेगी और अध्यादेश का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।
- (iii) बीआरएस अस्थायी पंजीकरण, अनुसंधान प्रस्तावों के मूल्यांकन, पंजीकरण की पुष्टि, पीएच.डी अवधि के विस्तार आदि के बारे में सुपरवाइजर्स/आरएसी की अनुशंसाओं पर विचार करेगी और पुष्टि/अनुशंसा, जो भी लागू हो, का परीक्षण करेगी।
- (iv) बीआरएस के अध्यक्ष का कार्यालय पंजीकरण और अनुसंधान स्कॉलरों के अनुसंधान कार्य की प्रगति के सभी रिकॉर्ड रखेगा।

4.3 अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) :

(1) प्रत्येक विभाग के लिए एक सलाहकार समिति होगी। अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) का गठन निम्नांकित रूप में होगा।

(क) प्रत्येक विभागाध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष होगा। (पदेन)

(ख) कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल से सम्बद्ध क्षेत्र में दो बाहरी विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे।

(ग) सम्बद्ध संकाय के डीन द्वारा विभाग से मनोनीत एक प्रोफेसर अथवा यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं होगा, तो फेकेल्टी का डीन सम्बद्ध विभाग के किसी असोसिएट/सहायक प्रोफेसर को मनोनीत करेगा।

(घ) सम्बद्ध संकाय के डीन द्वारा मनोनीत किसी अन्य विभाग से एक प्रोफेसर।

(ङ) सम्बद्ध रिसर्च स्कॉलर का सुपरवाइजर।

(च) विभागाध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक संकाय सदस्य समिति का संयोजक होगा।

कम से कम एक बाहरी विशेषज्ञ सहित न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति बैठक के आयोजन के लिए कोरम पूरा करने हेतु अनिवार्य होगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

(2) आरएसी के निम्नांकित दायित्व होंगे :

(i) अनुसंधान प्रस्ताव की समीक्षा करना और अनुसंधान के विषय को अंतिम रूप देना;

(ii) अध्ययन के विकास, अनुसंधान के स्वरूप और पद्धति के बारे में रिसर्च स्कॉलर को परामर्श देना, और उन विषयों की पहचान करना, जो उसे अभी पूरे करने हैं;

(iii) रिसर्च स्कॉलर के अनुसंधान कार्य की प्रगति समय समय पर समीक्षा करना और तदनु रूप उसे परामर्श देना।

(3) रिसर्च स्कॉलर को हर 6 महीने में एक बार आरएसी के समक्ष उपस्थित होना होगा ताकि अपने अनुसंधान कार्य के मूल्यांकन के लिए उसका प्रस्तुतिकरण कर सके और तदनु रूप आगे मार्गदर्शन ले सके। अनुसंधान कार्य की 6 महीने की प्रगति रिपोर्ट आरएसी की टिप्पणियों के साथ अध्ययन संकाय के डीन के कार्यालय में जमा कराई जाएगी और उसकी एक प्रति रिसर्च स्कॉलर को भी दी जाएगी।

(4) यदि रिसर्च स्कॉलर के अनुसंधान की प्रगति संतोषजनक नहीं होगी, तो आरएसी उसके कारणों को दर्ज करेगी और सुधार के उपाय सुझाएगी। यदि रिसर्च स्कॉलर सुधारात्मक उपायों का अनुपालन नहीं करेगा, तो आरएसी कारण निर्दिष्ट करते हुए रिसर्च स्कॉलर का पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश बीआरएस को करेगी।

5. प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड

5.1 इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/विज्ञान/प्रबंधन/मानविकी/सामाजिक विज्ञान में से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार, जिन्होंने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (सभी वर्षों/सेमेस्टर्स को मिला कर) अथवा समकक्ष संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) हासिल किया हो और स्नातक उपाधि स्तर पर भी 60 प्रतिशत अंक (सभी वर्षों/सेमेस्टर्स को मिला कर) अथवा समकक्ष सीजीपीए प्राप्त किया हो, विश्वविद्यालय के पीएच.डी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

5.2 परंतु, शिक्षण-एवं-अनुसंधान फेलोशिप (टीआरएफ) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मामले में सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि 70 प्रतिशत अंकों (सभी वर्षों/सेमेस्टर्स को मिला कर) अथवा समकक्ष

सीजीपीए हासिल किया हो और स्नातक उपाधि स्तर पर भी 60 प्रतिशत अंक (सभी वर्षों/सेमेस्टरों को मिला कर) अथवा समकक्ष सीजीपीए प्राप्त किया हो,

5.3 क्वालिफाइंग डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्तांक प्रतिशत और सीजीपीए के बीच समतुल्यता परिभाषित न किए जाने के मामले में यूजीसी/एआईसीटीई के समतुल्यता मानदंड लागू होंगे।

6. आरक्षण/रियायत

6.1 विश्वविद्यालय के सभी पीएच.डी पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर-क्रीमीलेयर)/दिव्यांगजन आवेदकों सहित सभी श्रेणियों में आवेदकों के लिए सीटों का आरक्षण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की नीतियों के अनुसार लागू होगा।

6.2 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(गैर-क्रीमीलेयर) दिव्यांगजन आवेदकों को खंड 5.1 और 5.2 में निर्धारित अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातक उपाधि में पात्रता अंकों में 5 प्रतिशत की रियायत दी जा सकती है।

6.3 उपरोक्त श्रेणियों में सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में, उन्हें अनारक्षित श्रेणी से भरा जाएगा।

7.1 प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया

7.1 रिसर्च स्कॉलर का दाखिला 2 स्तरीय प्रक्रिया अर्थात् प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए किया जाएगा। केवल उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हता अंक अर्जित किए हों। खंड 7.14 में निर्धारित अनुसार साक्षात्कार का संचालन एक समिति द्वारा किया जाएगा।

साक्षात्कार समिति निम्नांकित बातों पर ध्यान देगी :

(i) यह कि वांछित क्षेत्र में अनुसंधान संचालन के लिए उम्मीदवार की पर्याप्त अभिरुचि और योग्यता है।

(ii) यह कि विभाग में प्रस्तावित अनुसंधान के विचार को उपयुक्त समझा गया है।

(iii) यह कि प्रस्तावित अनुसंधान से चुने हुए क्षेत्र में नई/अतिरिक्त जानकारी के सृजन में मदद मिलेगी।

परंतु, टीआरएफ के मामले में समिति उपरोक्त (i) से (iii) में निर्धारित मानदंड के अतिरिक्त उम्मीदवारों की शिक्षण योग्यता की भी जांच करेगी।

7.2 आवश्यकता पड़ने पर चयन वर्ष में दो बार किए जाएंगे।

7.3 शिक्षण-एवं-अनुसंधान फेलोशिप के लिए साक्षात्कार सभी उम्मीदवारों के लिए अलग से आयोजित किया जाएगा।

7.4 प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार की सापेक्षित वरीयता क्रमशः 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत (बीआरएस द्वारा क्रैडेंशियल पर निर्धारित 10 प्रतिशत वरीयता सहित)होगी।

7.5 प्रवेश परीक्षा के लिए सिलेबस में 50 प्रतिशत प्रश्न अनुसंधान अभिरुचि/पद्धति से संबंधित होंगे, जिनमें मात्रात्मक पद्धतियां/कम्प्यूटर अप्लीकेशंस, प्रयोगात्मक तकनीक आदि विषय शामिल हो सकते हैं और शेष 50 प्रतिशत प्रश्न सम्बद्ध विषय से संबंधित होंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए सिलेबस का अनुमोदन बीआरएस द्वारा किया जाएगा।

7.6 विश्वविद्यालय पर्याप्त समय पहले विस्तृत सूचना अधिसूचित करेगा, जिसे वेबसाइट और कम से कम दो राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन के जरिए अधिसूचित किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया/ब्रोशर/सिलेबस सहित विस्तृत जानकारी पर्याप्त समय पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

7.7 परीक्षा नियंत्रक पात्र उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए आवेदनों की जांच की व्यवस्था करेगा और पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश पत्रक जारी करेगा।

7.8 परीक्षा नियंत्रक प्रवेश परीक्षा के लिए सम्बद्ध क्षेत्रों के अनुसंधान विभागवार अपेक्षित संख्या में प्रश्नपत्रों की व्यवस्था करेगा।

7.9 प्रवेश परीक्षा का संचालन परीक्षा नियंत्रक द्वारा किया जाएगा। वह साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष से साक्षात्कार (क्रैडेंशियल्स सहित) में प्राप्तांक ग्रहण करेगा और प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार (क्रैडेंशियल सहित) में प्राप्त अंकों के आधार पर विभागवार अंतिम सूची तैयार करेगा और उसे अधिसूचित करेगा।

7.10 यूजीसी-नेट (जेआरएफ/यूजीसी-सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित)/ डीबीटी-जेआरएफ, आईसीएमआर-जेआरएफ, डीएसटी-इन्स्पायर अथवा राष्ट्रीय स्तर की समकक्ष परीक्षा/फेलोशिप (बीआरएस द्वारा निर्धारित)/वैध गेट स्कोरधारक उम्मीदवारों को खंड 5.1 में वर्णित शर्तों में कोई छिथिलता नहीं दी

जायेगी। उन्हें प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के लिए उपस्थित होना होगा। परंतु, बीआरएस द्वारा पहचान की गई फेलोशिप वाले उम्मीदवारों को क्रेडेंशियल्स में पूर्ण अधिमान दिया जायेगा।

7.11 डीएसटी/यूजीसी/किसी अन्य सरकारी एजेंसी, उद्योग अथवा सरकार के सहायता अनुदान से स्थापित केंद्रों अथवा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजना स्टाफ के मामले में प्रवेश प्रदान करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी जा सकती है। परंतु, यह मंजूरी उक्त परियोजना/केंद्र के प्रधान इन्वेस्टिगेटर की अनुशंसाओं और सम्बद्ध बीआरएस और कुलपति के अनुमोदन के अधीन होगी, परंतु, खंड 5.1 में वर्णित अनुसार पात्रता शर्तें पूरी करने के लिए आवश्यक होंगी तथा प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार में उन्हें उपस्थित होना होगा।

7.12 नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाले अनुसंधान एवं विकास संगठनों/संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/उद्योगों से उम्मीदवार प्रायोजित उम्मीदवारों के रूप में सीधे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उन्हें खंड 5.1 में निर्दिष्ट न्यूनतम प्रवेश योग्यताएं पूरी करनी होंगी और निम्नांकित शर्तें पूरी करनी होंगी :

- (i) उम्मीदवार ने नियमित पर पर काम करते हुए कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो;
- (ii) आवेदक को विश्वविद्यालय की संतुष्टि के अनुरूप यह सिद्ध करना होगा कि उसके आधिकारिक दायित्व उसे अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय देंगे;
- (iii) आवेदक अनुसंधान पूरा करने के लिए नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सम्बद्ध विभाग में दैनिक आधार पर पर्याप्त समय लगा सकता है अथवा चुने हुए अनुसंधान क्षेत्र में आवेदक के कार्यस्थल पर अनुसंधान हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह भी कि बीआरएस द्वारा उसके कार्यस्थल का अनुमोदन द्वितीय कार्यस्थल के रूप में किया गया हो;
- (iv) आवेदक को उसका अनुसंधान कार्य पूरा होने तक नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रहना होगा। दिल्ली एनसीआर में कार्यरत उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम आवास की इस शर्त को स्वतः माफ समझा जाएगा।

7.13 एनएसयूटी/रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के किसी अन्य संस्थान से सम्बद्ध नियमित संकाय ऐसे सदस्य, जो पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने के इच्छुक हों, सीधे साक्षात्कार में बैठ सकते हैं, परंतु, उन्हें सम्बद्ध संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा कराना होगा। इन उम्मीदवारों को वैकल्पिक सीटों पर दाखिला दिया जाएगा।

7.14 साक्षात्कार एक समिति द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिसका गठन निम्नांकित अनुसार किया जाएगा :

- (i) सम्बद्ध अध्ययन संकाय के डीन, अध्यक्ष (पदेन)
- (ii) कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल से दो विषय विशेषज्ञ
- (iii) सम्बद्ध संकाय के डीन द्वारा नामित विभाग के दो वरिष्ठ संकाय सदस्य
- (iv) कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनल में से अजा/अजजा/अपिव/दिव्यांगजन श्रेणी का एक प्रतिनिधि।
- (v) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष समिति का संयोजक (पदेन) होगा।

7.15 आवश्यक समझे जाने पर पीएच.डी पाठ्यक्रम में दाखिला प्रत्येक सेमेस्टर में किया जा सकता है।

8. विदेशी नागरिक/गैर-अनिवासी भारतीय

8.1 स्वयं खर्च उठाने वाले विदेशी नागरिक/पात्रता मानदंड पूरे करने वाले अनिवासी भारतीय पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत किए जा सकते हैं।

8.2 विदेशी नागरिकों/अनिवासी भारतीयों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी परंतु उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अथवा किसी ऐसे अन्य माध्यम से साक्षात्कार में शामिल होना होगा। उनका दाखिला साक्षात्कार में प्रदर्शित योग्यता के आधार पर किया जा सकता है और उनके अनुसंधान प्रस्ताव का अनुमोदन सुपरवाइजर्स और सम्बद्ध बीआरएस द्वारा किया जाएगा।

8.3 विदेशी नागरिकों/अनिवासी भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में सक्षम होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

8.4 विदेशी नागरिकों/अनिवासी भारतीयों का प्रवेश उनकी क्वालिफाइंग डिग्री के समकक्ष होने की जांच के अधीन होगा, जो असोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) द्वारा की जाएगी।

9. अस्थायी पंजीकरण

- 9.1 परीक्षा नियंत्रक से उम्मीदवारों की योग्यता सूची प्राप्त होने के बाद, चुने हुए उम्मीदवारों को डीन, शैक्षिक कार्य द्वारा प्रवेश प्रस्ताव जारी किया जाएगा, जो सम्बद्ध विभाग में सीटों की उपलब्धता के अधीन होगा और उन्हें दाखिले के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।
- 9.2 अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) प्रवेश की अंतिम तारीख से एक सप्ताह के भीतर बैठक करेगी ताकि आवेदन प्रपत्र में उम्मीदवारों द्वारा वर्णित प्राथमिकता के अनुसार उनके विषय के लिए सुपरवाइजर निर्धारित किए जा सकें।
- 9.3 सुपरवाइजरों के आवंटन के लिए प्रथम आरएसी बैठक की तारीख उम्मीदवारों के अस्थायी पंजीकरण की तारीख होगी।

10. पंजीकरण का नवीकरण

- 10.1 प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर को हर सिमेस्टर के प्रारंभ में पंजीकरण का नवीकरण करना होगा और यह सिलसिला थीसिस जमा कराने तक जारी रहेगा। पंजीकरण का नवीकरण निर्दिष्ट संख्या में क्रेडिट्स/कोर्सेज पूरे करने और/अथवा आरएसी द्वारा अनुमोदित अनुसार अनुसंधान में संतोषजनक प्रगति के अधीन होगा।
- 10.2 पंजीकरण का नवीकरण कराने और अपेक्षित सिमेस्टर फीस अदा करने में असफल रहने वाले रिसर्च स्कॉलर, का रिसर्च स्कॉलर का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा।
- 10.3 डी-पंजीकरण के असाधारण मामले में, कुलपति के पास रिसर्च स्कॉलर के पुनः पंजीकरण की अनुमति देने की शक्ति होगी।

11. कोर्स वर्क

- 11.1 प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर को आरएसी द्वारा निर्धारित अनुसार कोर्स वर्क पूरा करना होगा।
- 11.2 (क) प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर को पहले सेमेस्टर में कम से कम चार क्रेडिट प्रत्येक के चार कोर्स पूरे करने होंगे। परंतु, यदि कोई उम्मीदवार प्रथम सेमेस्टर में कोर्स पूरा करने में विफल रहता है, तो आरएसी की अनुशंसा पर कोर्स वर्क पूरा करने की अवधि में दूसरे सेमेस्टर तक छूट दी जा सकती है।
- (ख) अनुसंधान पद्धति के बारे में चार क्रेडिटों का न्यूनतम एक कोर्स अथवा अधिक कोर्स निर्धारित किए जाएंगे, जिनमें मात्रात्मक पद्धतियां, कम्प्यूटर अप्लीकेशंस, अनुसंधान नीति, साहित्य समीक्षा, प्रशिक्षण, फील्ड कार्य, प्रयोगात्मक तकनीक आदि शामिल हो सकते हैं। अन्य कोर्सेज मौजूदा एम.टेक/एमएससी/एमबीए पाठ्यक्रमों से निर्धारित किए जा सकते हैं, जो अनुसंधान क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हों और/अथवा आरएसी द्वारा अनुमोदित अनुसार एनपीटीईएल से अधिकतम एक ऑनलाइन कोर्स निर्धारित किया जा सकता है। यह भी उम्मीद की जाती है कि रिसर्च स्कॉलर खंड 14 के अनुरूप अनुसंधान प्रस्ताव के मूल्यांकन में सफलतापूर्वक क्वालिफाई करेगा। उसे यह कार्य कोर्स संबंधी अपेक्षा पूर्ण करने के तत्काल बाद करना होगा, लेकिन खंड 14.5 के अनुसार किसी भी स्थिति में निर्धारित समय से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 11.3 कोर्स वर्क में न्यूनतम 6.5 सीजीपीए की शर्त अथवा ऑनलाइन एनपीटीईएल ग्रेड के मामले में समकक्ष सीजीपीए, पीएच.डी पाठ्यक्रम को जारी रखने हेतु अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित कोर्स वर्क में किसी स्कॉलर द्वारा प्राप्त ग्रेड अपेक्षित सीजीपीए से कम होगा, तो रिसर्च स्कॉलर को अतिरिक्त कोर्स लेने होंगे ताकि समग्र ग्रेड 6.5 सीजीपीए के समान या उससे अधिक हो जाए। परंतु, इसमें यह शर्त होगी कि यह उपलब्धि प्रथम दो सेमेस्टर्स के अंतर्गत पूरी की जाए, अन्यथा उसका पंजीकरण समाप्त समझा जाएगा।
- 11.4 पीएच.डी पाठ्यक्रम के लिए पुनः पंजीकरण की स्थिति में, बीआरएस इस विश्वविद्यालय में किसी रिसर्च स्कॉलर द्वारा अपने प्रारंभिक पीएच.डी पंजीकरण के दौरान अर्जित क्रेडिट को स्वीकार कर सकती है, परंतु, यह प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जहां रिसर्च स्कॉलर ने अपना अनुसंधान क्षेत्र बदल लिया हो अथवा अपना विभाग बदल लिया हो। अनुशासन के आधार पर निरस्त किए गए रिसर्च स्कॉलरों का पुनः पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

12. हाजिरी और अवकाश

- किसी भी स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला रिसर्च स्कॉलर निम्नांकित अवकाश/हाजिरी नियमों के अनुसार अवकाश लेने का हकदार होगा। यह नियम समय समय पर संशोधित किए जा सकते हैं।
- 12.1 ऐसे रिसर्च स्कॉलर को, जिसने कोर्स वर्क पूरा कर लिया हो, सभी कार्य दिवसों पर अपने अनुसंधान कार्य पर उपस्थित रहना होगा और विधिवत रूप से स्वीकृत अवकाश के दिनों को छोड़कर अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी।

- 12.2 प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर शैक्षिक वर्ष में 30 दिन के अवकाश का पात्र होगा।
- 12.3 उसे ग्रीष्म और शीत अवकाश का अधिकार नहीं होगा।
- 12.4 उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त, रिसर्च स्कॉलर प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश के हकदार होंगे। यदि चिकित्सा अवकाश चालू वर्ष के दौरान आंशिक रूप में या पूरी तरह से इस्तेमाल न किया गया हो, तो उसे अगले वर्ष/वर्षों के लिए अग्रसारित किया जाएगा।
- 12.5 किसी शैक्षिक वर्ष के दौरान रिसर्च स्कॉलर को असाधारण मामलों में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा 30 दिन से अधिक अवकाश भी मंजूर किया जा सकता है, लेकिन इस दौरान फेलोशिप/स्कॉलरशिप उसे नहीं मिलेगी।
- 12.6 महिला रिसर्च स्कॉलर यूजीसी/एआईसीटीई मानदंड के अनुसार प्रसूति अवकाश की हकदार होगी, लेकिन इसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा। सुपरवाइजर रिसर्च स्कॉलर की बीमारी/प्रसूति अवकाश के कारण अनुसंधान कार्य से अनुपस्थिति की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के जरिए बीआरएस को भेजेगा।
- 12.7 अवकाश सुपरवाइजर की अनुशंसा पर सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होगा और प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर का समुचित छुट्टियों का लेखाजोखा सम्बद्ध विभाग द्वारा रखा जाएगा।
13. **थीसिस सुपरवाइजर :**
- 13.1 प्रत्येक पंजीकृत स्कॉलर को सम्बद्ध आरएसी द्वारा आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित वरीयता क्षेत्र और प्रस्तावित सुपरवाइजर की स्वीकृति तथा सम्बद्ध सुपरवाइजर के तहत उपलब्ध सीटों पर विचार करते हुए आरएसी द्वारा एक अनुसंधान सुपरवाइजर आवंटित किया जाएगा/सुपरवाइजर आवंटित किए जाएंगे।
- 13.2 सुपरवाइजर इस अध्यादेश में परिभाषित अनुसार विश्वविद्यालय का कोई संकाय सदस्य होगा। एनएसयूटी के संकाय सदस्य की नियुक्ति सुपरवाइजर के रूप में किए जाने के लिए निम्नांकित शर्तें लागू होंगी :
- (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पीएच.डी डिग्री;
- (ख)(i) विज्ञान और इंजीनियरी विषयों से सम्बद्ध रहे सुपरवाइजरों के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कम से कम 5 आलेख प्रकाशित हुए हों, जिनमें से कम से कम 3 आलेख एससीआई-इंडेक्स्ड/एससीआई-एक्सपेंडिड पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हों, अथवा
- (ii) विज्ञान और इंजीनियरी विषयों के अलावा अन्य सुपरवाइजरों के यूजीसी द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, जिनकी पहचान बीआरएस द्वारा की गई हो, में कम से कम 5 आलेख प्रकाशित हुए हों।
- (ग) सुपरवाइजर के साथ पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या खंड 13.3 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा से कम होनी चाहिए।
- 13.3 किसी संकाय सदस्य द्वारा पर्यवेक्षित शोधार्थियों की अधिकतम संख्या निम्नांकित अनुसार होगी :
- सहायक प्रोफेसर : 4 रिसर्च स्कॉलर
 असोसिएट प्रोफेसर : 6 रिसर्च स्कॉलर
 प्रोफेसर : 8 रिसर्च स्कॉलर
- संयुक्त पर्यवेक्षण के मामले में पंजीकृत रिसर्च स्कॉलर सभी सुपरवाइजरों के लेखों में एक के रूप में गिना जाएगा।
- परंतु, संकाय सदस्य को उपरोक्त अनुसार आवंटित अधिकतम रिसर्च स्कॉलरों में से अधिकतम 50 प्रतिशत शिक्षण-एवं-अनुसंधान फेलो होने चाहिए, जिन्हें विश्वविद्यालय से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही हो अथवा वे एआईसीटीई से प्रायोजित क्यूआईपी/एनडीएफ स्कॉलर हों, और शेष 50 प्रतिशत स्कॉलर अन्य प्रायोजित एजेंसियों/यूजीसी-जेआरएफ/परियोजनाओं से हों, अथवा बिना फेलोशिप वाले स्कॉलर हों।
- 13.4 सुपरवाइजर/सुपरवाइजरों की नियुक्ति प्रथम सिमेस्टर के दौरान की जाएगी।
- 13.5 बीआरएस, सुपरवाइजरों और सम्बद्ध आरएसी की अनुशंसाओं पर संयुक्त सुपरवाइजरों की अनुमति प्रदान कर सकती है, परंतु किसी रिसर्च स्कॉलर का पर्यवेक्षण करने के लिए 3 से अधिक सुपरवाइजर नहीं होंगे और इसमें यह शर्त भी होगी कि किसी एक विश्वविद्यालय से दो से अधिक सुपरवाइजर नहीं होंगे। अतिरिक्त सुपरवाइजरों को खंड 13.2 (क), (ख) में वर्णित अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी।

- 13.6** किसी अतिरिक्त सुपरवाइजर/सुपरवाइजरों की नियुक्ति स्कॉलर के अस्थायी पंजीकरण की तारीख से 18 महीने बीत जाने के बाद नहीं की जाएगी। परंतु, यह शर्त ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी, जबकि एकबारगी एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए विश्वविद्यालय में कोई भी सुपरवाइजर उपलब्ध न हो।
- 13.7** बीआरएस सुपरवाइजर और आरएसी की अनुशंसा पर, एनएसयूटी से बाहर (देश में या विदेश से) के प्रतिष्ठित विद्वान/विद्वानों को सुपरवाइजर/सुपरवाइजरों के रूप में नियुक्त किए जाने की मंजूरी प्रदान कर सकती है।
- 13.8** पीएच.डी सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त कोई संकाय सदस्य सामान्यतः विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर के पीएच.डी थीसिस कार्य पर मौखिक साक्षात्कार तक उपलब्ध रहना चाहिए। परंतु, अपरिहार्य परिस्थितियों में, जैसे 12 महीने से अधिक की लंबी छुट्टी; त्यागपत्र; सेवानिवृत्ति; अथवा मृत्यु; की स्थिति में संभव है कि स्कॉलर को सुपरवाइजर उपलब्ध न हो। ऐसे विशेष मामलों में, सुपरवाइजर/सुपरवाइजरों की नियुक्ति निम्नांकित अनुसार विनियमित होगी :
- (क) यदि कोई सुपरवाइजर 12 महीने या उससे अधिक अवकाश या ग्रहणाधिकार पर जाता है, तो :
- (i) जहां कहीं अतिरिक्त सुपरवाइजर उपलब्ध हो, 12 महीने से अधिक की लंबी छुट्टी पर जाने वाले सुपरवाइजर को संयुक्त सुपरवाइजर के रूप में जारी रखा जा सकता है।
- (ii) जहां कोई संयुक्त सुपरवाइजर उपलब्ध न हो, वहां ऐसी स्थिति में जबकि स्कॉलर ने अपना थीसिस जमा न कराया हो, बीआरएस द्वारा अतिरिक्त सुपरवाइजर की नियुक्ति की जा सकती है।
- (ख) (i) परंतु यह उपबंधित है कि यदि अवकाश पर जाने वाले सुपरवाइजर के समक्ष थीसिस प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो वह सुपरवाइजर बना रहेगा।
- (ii) परंतु, यह और भी उपबंधित है कि यदि प्रारंभ में कोई सुपरवाइजर 12 महीने से कम अवधि की छुट्टी पर जाता है, लेकिन बाद में वह 12 महीने से अधिक छुट्टी बढ़ा लेता है, तो ऊपर वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- (ग) त्यागपत्र; सेवानिवृत्ति, अथवा मृत्यु; जैसी किसी भी असाधारण स्थिति में, अस्थायी पंजीकरण की तारीख से 18 महीने के बाद भी बीआरएस की अनुशंसा पर और सीनेट के अनुमोदन से अतिरिक्त सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा।
- 14. अनुसंधान प्रस्ताव का मूल्यांकन**
- 14.1** अपेक्षित पीएच.डी कोर्स वर्क कम से कम 6.5 सीजीपीए के साथ उत्तीर्ण कर लेने के बाद, प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर अपने अनुसंधान प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए स्वयं को आरएसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- 14.2** आरएसी मौखिक साक्षात्कार, अनुसंधान प्रस्ताव की उपयुक्तता के साथ अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र में पीपीटी प्रस्तुतिकरण उसकी शैक्षिक तैयारी, और प्रस्तावित अनुसंधान संचालित करने की क्षमता के आधार पर रिसर्च स्कॉलर का व्यापक परीक्षण करेगी। व्यापक मौखिक साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लेने होंगे।
- 14.3** आरएसी, रिसर्च स्कॉलर के कार्य निष्पादन के आधार पर निम्नांकित अनुशंसाओं में से एक अनुशंसा करेगी :
- (i) व्यापक मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुसंधान योजना अनुमोदित।
- (ii) समिति के सुझावों को देखते हुए पुनः परीक्षा और अनुसंधान योजना फिर से प्रस्तुत करने और एक निश्चित अवधि के बाद उसके पुनर्मूल्यांकन की सलाह देना।
- 14.4** सभी रिसर्च स्कॉलरों को कोर्स वर्क पूरा करने के बाद, लेकिन अस्थायी पंजीकरण की तारीख से 18 महीने से अधिक समय बाद नहीं, अपने अनुसंधान प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए स्वयं प्रस्तुत होना होगा, अन्यथा उनका पीएच.डी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- 14.5** किसी भी रिसर्च स्कॉलर को अनुसंधान प्रस्ताव के मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम दो प्रयासों की छूट दी जाएगी, अन्यथा, उनका अस्थायी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- 15. पीएच.डी पंजीकरण :**
- 15.1** अनुसंधान प्रस्ताव के सफल मूल्यांकन के बाद, आरएसी की अनुशंसाएं बीआरएस को भेजी जाएंगी, ताकि रिसर्च स्कॉलर के पीएच.डी पंजीकरण की पुष्टि की जा सके।

- 15.2 पीएच.डी पंजीकरण की पुष्टि की तारीख वह तारीख होगी, जिस दिन बीआरएस उसके पंजीकरण की पुष्टि करेगी।
- 15.3 प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक सिमेस्टर में अपने कार्य निष्पादन के आधार पर आरएसी से अनुशंसा प्राप्त करने के बाद अपने पंजीकरण का नवीकरण कराए।
16. **कार्य निष्पादन निगरानी :**
- 16.1 प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर से हर सिमेस्टर के बाद प्रगति रिपोर्ट जमा कराने को कहा जाएगा, जो उसे अपने सुपरवाइजर/सुपरवाइजर्स को प्रस्तुत करनी होगी। प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सम्बद्ध आरएसी उसका मूल्यांकन करेगी और रिसर्च स्कॉलर को तदनुसूचित सलाह दी जाएगी।
- 16.2 प्रगति रिपोर्ट जमा कराने के लिए शैक्षिक कैलेंडर में निम्नांकित तारीखें शामिल होंगी :
- (i) विषम सिमेस्टर : 15 दिसंबर
- (ii) सम सिमेस्टर : 15 जून
- यदि उपरोक्त (i) और (ii) पर वर्णित तारीख को अवकाश होगा, तो अगले कार्य दिवस को प्रगति रिपोर्ट जमा कराने की तारीख समझा जाएगा।
- असाधारण मामलों में, अध्ययन संकाय के डीन प्रगति रिपोर्ट जमा कराने में देरी के लिए माफी दे सकते हैं।
- 16.3 अनुसंधान कार्यक्रम/फेलोशिप जारी रखने के लिए एक संतोषजनक कार्य निष्पादन रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
- 16.4 यदि प्रगति 'असंतोषजनक' पाई जाती है, तो रिपोर्ट में 'असंतोषजनक प्रगति' अवश्य लिखा जाना चाहिए और इस बारे में की जाने वाली समुचित कार्रवाई का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। 'असंतोषजनक प्रगति' रिपोर्ट पहली बार दिखाई देने पर रिसर्च स्कॉलर को चेतावनी जारी की जाएगी। नतीजतन, रिसर्च स्कॉलर की फेलोशिप रोक दी जाएगी।
- 16.5 यदि लगातार दो 'असंतोषजनक प्रगति' रिपोर्ट मिलती हैं, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- 16.6 प्रत्येक सिमेस्टर में प्रगति रिपोर्ट जमा कराने का सिलसिला पीएच.डी थीसिस जमा कराने तक जारी रहेगा।
17. **न्यूनतम और अधिकतम पंजीकरण अपेक्षा :**
- 17.1 अस्थायी पंजीकरण की तारीख से पीएच.डी पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष होगी।
- 17.2 असाधारण मामलों में, कुलपति द्वारा सुपरवाइजर, आरएसी और बीआरएस की अनुशंसा पर थीसिस जमा कराने की न्यूनतम अवधि में अधिकतम 6 महीने की छूट दी जा सकती है।
- 17.3 असाधारण मामलों में, कुलपति सुपरवाइजर, आरएसी और बीआरएस की सिफारिश पर थीसिस जमा कराने के लिए 6 महीने की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अधिकतम 1 वर्ष की छूट दे सकते हैं।
- 17.4 महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगजनों (40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता) को कुलपति द्वारा सुपरवाइजर, आरएसी और बीआरएस की सिफारिश पर 6-6 महीने के आधार पर रियायत दी जाएगी, जिसकी अधिकतम अवधि 2 वर्ष होगी।
18. **प्री-पीएच.डी सेमिनार :**
- 18.1 अनुसंधान कार्य पूरा होने पर प्रत्येक रिसर्च स्कॉलर को आरएसी के समक्ष प्री-पीएच.डी सेमिनार में अपने विचार व्यक्त करने होंगे, जो सभी संकाय सदस्यों और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी ओपन होगा।
- 18.2 सेमिनार में प्राप्त फीडबैक और टिप्पणियां (थीसिस के अंतिम शीर्षक सहित) आरएसी से सलाह मशविरा करके मसौदा डेजरेशन/थीसिस में उपयुक्त रूप में समाहित की जा सकती हैं।
- 18.3 प्री-पीएच.डी सेमिनार के बाद आरएसी द्वारा थीसिस के सही नाम की पुष्टि की जाएगी।
19. **पीएच.डी थीसिस जमा कराना :**
- 19.1 रिसर्च स्कॉलर को पीएच.डी-परवर्ती सेमिनार की तारीख से तीन महीने के भीतर अपना थीसिस और सिनोप्सिस जमा कराने होंगे। परंतु, यदि कोई रिसर्च स्कॉलर निर्धारित समय के भीतर अपना थीसिस जमा नहीं कराता है, और ऐसा करने के पीछे उसके पास कोई उपयुक्त कारण है, तो अध्ययन संकाय के डीन सम्बद्ध आरएसी की अनुशंसा के आधार पर उन्हें अवधि में छूट दे सकते हैं, जो अधिकतम 3 महीने होगी, और यह प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत गुण दोष पर आधारित होगी। रिसर्च स्कॉलर को थीसिस जमा कराने के लिए 6 महीने से अधिक की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा न कर पाने पर उसे पीएच.डी-परवर्ती सेमिनार में फिर से उपस्थित होना होगा।

- 19.2** थीसिस निर्दिष्ट फार्मेट में अंग्रेजी में लिखा जाएगा और उसमें अनुसंधान के बारे में एक समीक्षात्मक विवरण शामिल होगा, जिसमें खोजे गए तथ्यों का स्वरूप अथवा तथ्यों और सिद्धांतों की नई व्याख्या अथवा अत्याधुनिक ज्ञान में महत्वपूर्ण मौलिक योगदान अथवा इन सभी के सम्मिलित रूप का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें रिसर्च स्कॉलर की स्वतंत्र अन्वेषण, डिजाइन या विकास करने की विश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में साक्ष्य भी शामिल किए जाने चाहिए। थीसिस की विषयवस्तु को किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई अन्य डिग्री प्राप्त करने हेतु जमा नहीं कराया जाना चाहिए। इस आशय का प्रमाणपत्र रिसर्च स्कॉलर और उसके सुपरवाइजर द्वारा दिया जाना चाहिए।
- 19.3** रिसर्च स्कॉलर को खंड 17 में निर्धारित समय सीमा के अनुसार अपनी थीसिस जमा करानी होगी। परंतु इसमें यह उपबंधित है कि :
- (i) उसने खंड 11 के अनुरूप अपेक्षित कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और खंड 14 के अनुसार प्रस्तावित अनुसंधान के मूल्यांकन में उसे 'उत्तीर्ण' घोषित किया गया हो।
- (ii) (क) विज्ञान और इंजीनियरी विषयों से सम्बद्ध रिसर्च स्कॉलर के प्रतिष्ठित निर्दिष्ट पत्रिकाओं में कम से कम 3 अनुसंधान आलेख प्रकाशित हुए हों, जिनमें से कम से कम दो आलेख एससीआई इंडेक्स/एससीआई-एक्सपेंडिड पत्रिकाओं में छपे हों (अथवा स्वीकृति पत्र के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो), अथवा ।
- (ख) विज्ञान और इंजीनियरी से इतर रिसर्च स्कॉलर के कम से कम 3 अनुसंधान आलेख यूजीसी अनुमोदित और बीआरएस द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में छपे हों।
- (iii) रिसर्च स्कॉलर को कम से कम दो अनुसंधान आलेख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत करनेमें भी सक्षम होना चाहिए और तत्संबंधी साक्ष्य संलग्न करना चाहिए।
- 19.4** रिसर्च स्कॉलर एकल पीडीएफ फाइल के रूप में अपने थीसिस के मूल्यांकन के लिए उसकी साफ्ट कॉपी के साथ 5 प्रतियां जमा कराएगा।
- 19.5** बौद्धिक संपदा अधिकारों से सम्बद्ध मुद्दों के मामले में, अपेक्षित पेटेंट पीएच.डी परवर्ती सेमिनार से पहले दाखिल कराए जाने चाहिए।
- 19.6** विश्वविद्यालय भली-भांति विकसित सॉफ्टवेयर और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी व्यवस्था कायम करेगा, जिससे साहित्यिक चोरी और अन्य प्रकार की अनैतिक शैक्षिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके। प्रत्येक थीसिस की साहित्यिक चोरी की दृष्टि से जांच करायी जाएगी और थीसिस जमा कराए जाने से पहले संबद्ध सुपरवाइजर/सुपरवाइजरों द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा। थीसिस को अध्ययन संकाय के डीन के पास जमा कराते समय संबद्ध सुपरवाइजर का सत्यापन प्रमाणपत्र उसके साथ संलग्न होना अनिवार्य होगा।
- 19.7** रिसर्च स्कॉलर अपने पीएच.डी कोर्स के दौरान स्वयं द्वारा प्रकाशित किसी भी कृति या कार्य की विषयवस्तु को थीसिस में शामिल कर सकता है और उसका ब्यौरा थीसिस में कर सकता/सकती है। यदि एक से अधिक लेखकों द्वारा रचित प्रकाशित कार्य की विषयवस्तु को उनमें से किसी एक लेखक द्वारा अपने थीसिस में इस्तेमाल किया गया हो, तो उसी विषयवस्तु को अन्य सह-लेखकों द्वारा कोई भी डिग्री प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। थीसिस जमा कराने से पहले इस बारे में सभी सह-लेखकों की सहमति प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।
- 19.8** रिसर्च स्कॉलर को 'शोध गंगा' पर अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य सर्वर पर डिजिटल फार्मेट में अपने थीसिस होस्ट करने और वितरित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में एक विद्यार्थी अनुमोदन प्रपत्र (स्टूडेंट अप्रूवल फार्म) भी जमा कराना होगा।
- 20. परीक्षकों की नियुक्ति :**
- 20.1** रिसर्च स्कॉलर द्वारा सिनोप्सिस और पीएच.डी थीसिस जमा कराने के बाद, सुपरवाइजर निम्नांकित दस्तावेज विभागाध्यक्ष के माध्यम से डीन, अध्ययन संकाय को भेजेगा : (1) पीएच.डी थीसिस की 5 प्रतियां (2) थीसिस के सिनोप्सिस की 5 प्रतियां (3) सुपरवाइजर से साहित्यिक चोरी जांच प्रमाणपत्र और (4) सुपरवाइजर/सुपरवाइजरों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं सीलबंद लिफाफे में, परीक्षा नियंत्रक के नाम प्रस्तावित परीक्षकों की सूची, जिसमें कम से कम 5 परीक्षक भारत से और 3 परीक्षक विदेश से होने चाहिए।
- 20.2** सभी प्रस्तावित परीक्षक पीएच.डी थीसिस से सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रोफेसर या समकक्ष रैंक के होने चाहिए और वे खंड-13.2 (ख) में वर्णित सुपरवाइजर बनने की न्यूनतम पात्रता शर्तें पूरी करते हों।
- 20.3** परंतु, ऐसा व्यक्ति, जो उसी प्रयोगशाला/प्रयोगशालाओं/संस्थान/संस्थानों में कार्यरत हो, जहां रिसर्च स्कॉलर नियोजित है, उस रिसर्च स्कॉलर के थीसिस का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त नहीं

किया जा सकता। इसके अतिरिक्त ऐसी प्रयोगशाला/संस्थान से किसी व्यक्ति को बाहरी परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता, जिससे रिसर्च स्कॉलर से संबंधित कोई एक सुपरवाइजर सम्बद्ध हो।

- 20.4** सिनोप्सिस, थीसिस और खण्ड 20.1 में सूचीबद्ध अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर, अध्ययन संकाय का डीन उन्हें परीक्षा नियंत्रक के पास भेजेगा और उनके साथ परीक्षा नियंत्रक को संबोधित बंद लिफाफे में विधिवत रूप से हस्ताक्षरित परीक्षकों की एक अतिरिक्त सूची भी संलग्न करेगा।
- 20.5** संभावित परीक्षकों के पैनल में, प्रत्येक का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में दिया गया होगा, जैसे पूरा नाम, सही सही पदनाम, अनुसंधान/विशेषज्ञता का क्षेत्र, विभाग/प्रयोगशाला का नाम, विश्वविद्यालय/संगठन का नाम, डाक के पूरे पते, ईमेल आईडी, लैंड लाइन सहित और/या मोबाइल नंबर सहित।
- 21. पीएच.डी थीसिस का मूल्यांकन :**
- 21.1** परीक्षा नियंत्रक द्वारा भेजे गए परीक्षकों के दो पैनलों (खंड 20.1 और 20.4 के अनुसार) में से चयन करते हुए तीन परीक्षकों की नियुक्ति करना कुलपति का विशेषाधिकार होगा, जिनमें कम से कम एक परीक्षक विदेश से लिया जाएगा।
- 21.2** परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चित करेगा कि परीक्षकों को सभी जानकारी सामान्य डाक से और ईमेल के जरिए भेजी जाए, जैसे पीएच.डी परीक्षक बनने के लिए उनकी सहमति के लिए अनुरोध, मूल्यांकन के लिए पीएच.डी थीसिस की दोनों, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भेजना तथा परीक्षकों की रिपोर्ट/रिपोर्टें प्राप्त करना।
- 21.3** परीक्षक, निम्नांकित के लिए अनुशंसा कर सकते हैं :
- (i) पीएच.डी डिग्री अवार्ड करने के लिए पीएच.डी वाइव वोसी (मौखिक परीक्षा) आयोजित करना; अथवा
- (ii) इस शर्त के साथ पीएच.डी उपाधि प्रदान किए जाने के लिए वाइव वोसी (मौखिक परीक्षा) आयोजित करना कि मौखिक परीक्षा से पहले सुपरवाइजर के साथ परामर्श से किए गए सुधार/संशोधन थीसिस में शामिल किए जाएं; अथवा
- (iii) 12 महीने के भीतर थीसिस को फिर से प्रस्तुत करना; अथवा
- (iv) थीसिस को रद्द करना।
- 21.4** थीसिस के बारे में तीनों परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्टें संतोषजनक होने पर और मौखिक परीक्षा के आयोजन के बारे में उनकी विशिष्ट अनुशंसा शामिल होने पर ही थीसिस का बचाव करने के लिए रिसर्च स्कॉलर को मुक्त मौखिक परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि परीक्षकों में से केवल एक परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक न हो, और मौखिक परीक्षा की अनुशंसा न की गई हो, तो विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से चौथे परीक्षक के पास थीसिस को भेजेगा और मौखिक परीक्षा का आयोजन तभी किया जाएगा जब चौथे परीक्षक से संतोषजनक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। यदि चौथे परीक्षक की रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं होगी, तो थीसिस रद्द कर दिया जाएगा और रिसर्च स्कॉलर को डिग्री प्राप्त करने के लिए अपात्र समझा जाएगा।
- 21.5** परीक्षा नियंत्रक सम्बद्ध संकाय के डीन को सभी परीक्षकों की रिपोर्टें अग्रसारित करेगा। सम्बद्ध अध्ययन संकाय का डीन खंड 21.4 के अनुसार कुलपति के अनुमोदन के लिए समुचित कार्रवाई की अनुशंसा करेगा। सम्बद्ध संकाय का डीन सभी परीक्षकों की रिपोर्टों की प्रतियां सम्बद्ध सुपरवाइजर के पास भी भेजेगा। परीक्षकों की अनाम रिपोर्टें, बशर्ते संशोधन/संशोधनों के लिए अनुशंसित हों, रिसर्च स्कॉलर के साथ भी साझा की जाएंगी और संशोधित थीसिस डीन द्वारा जानकारी दिए जाने की तारीख से 12 महीने के भीतर जमा कराया जा सकेगा।
- 21.6** खंड 21.4 के अनुसार संतोषजनक मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद रिसर्च स्कॉलर को कुलपति द्वारा नामित परीक्षक/परीक्षकों के समक्ष मौखिक परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। सम्बद्ध संकाय का डीन मौखिक परीक्षा का आयोजन करेगा।
- 21.7** मुक्त मौखिक परीक्षा का आयोजन, यदि आवश्यक हो, विशेष रूप से विदेशी परीक्षक/परीक्षकों के मामले में, तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी किया जा सकता है।
- 21.8** मौखिक परीक्षा आरएसी के सदस्यों, विभाग के सभी संकाय सदस्यों, अन्य रिसर्च स्कॉलरों और अन्य इच्छुक विशेषज्ञों/अनुसंधानकर्ताओं के लिए खुली होगी।
- 21.9** यदि बाहरी मूल्यांकन के बाद थीसिस संशोधन के अधीन हो, तो संशोधन के बाद, पीएच.डी थीसिस के अंतिम संस्करण की सॉफ्ट प्रतियां डीन कार्यालय, अध्ययन संकाय में अवश्य फिर से जमा कराई जानी चाहिए। यह

सुनिश्चित करने के लिए कि सॉफ्ट कापी पूर्ण है और मुद्रित संस्करण (पीएच.डी उपाधि प्रदान किए जाने के लिए स्वीकृत) की हू-ब-हू अनुकृति है, सुपरवाइजर/अध्यक्ष स्कॉलर द्वारा जमा कराई गई सॉफ्ट कॉपी को प्रमाणित करेगा।

21.10 विश्वविद्यालय थीसिस जमा कराए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर पीएच.डी थीसिस के मूल्यांकन की समूची प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए समुचित पद्धतियां विकसित करेगा।

21.11 खंड 21.6 में नियुक्त परीक्षक संकाय के सदस्यों और विद्यार्थियों की उपस्थिति में मुक्त मौखिक परीक्षा का आयोजन करेगा और अध्ययन संकाय के डीन को निम्नांकित में से कोई एक कार्रवाई अनुशंसित करेगा :

(क) पीएच.डी उपाधि प्रदान कर दी जाए।

(ख) रिसर्च स्कॉलर की बाद में निर्दिष्ट ढंग से निर्दिष्ट अवधि में पुनः परीक्षा ली जाए।

(ग) पीएच.डी डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी।

उपरोक्त (क) और (ख) के मामले में परीक्षक रिसर्च स्कॉलर को थीसिस के मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों की जानकारी सहित थीसिस में (यदि आवश्यक हो), सभी परिवर्तनों और संशोधनों की एक सूची भी प्रदान करेगा। (ग) के मामले में कारण विस्तार से दिए जाने चाहिए।

21.12 निर्धारित प्रारूप में और परीक्षक/परीक्षकों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट उपस्थिति पत्रक और अधिसूचना की प्रति के साथ सीलबंद लिफाफे में सम्बद्ध संकाय के डीन के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को भेजी जाएगी।

22. पीएच.डी उपाधि प्रदान करना :

22.1 विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी उपाधि निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी :

(क) खंड 21.6 में वर्णित अनुसार मौखिक परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए परीक्षक ने इस आशय की अनुशंसा की हो;

(ख) रिसर्च स्कॉलर ने निर्धारित प्रारूप में 'कुछ भी बकाया न होने का प्रमाणपत्र' प्रस्तुत किया हो;

(ग) रिसर्च स्कॉलर ने सभी आवश्यक संशोधन/परिवर्तन समाविष्ट करने के बाद थीसिस की दो हार्ड कवर प्रतियां जमा कराई हों; एक विभागीय पुस्तकालय के लिए और अन्य केंद्रीय पुस्तकालय के लिए; और

(घ) रिसर्च स्कॉलर ने सभी आवश्यक संशोधन/परिवर्तन समाविष्ट करने के बाद थीसिस की एक सॉफ्ट प्रति जमा कराई हो।

22.2 पीएच.डी उपाधि वास्तव में प्रदान किए जाने से पहले विश्वविद्यालय इस आशय का अस्थायी प्रमाणपत्र प्रदान करेगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के प्रावधानों के अनुसार डिग्री प्रदान की जाती है।

23. शिक्षण एवं अनुसंधान फेलोशिप :

23.1 विश्वविद्यालय द्वारा कितनी संख्या में शिक्षण एवं अनुसंधान फेलोशिप प्रदान की जाएंगी, यह निर्णय विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल द्वारा किया जाएगा। ये फेलोशिप कुलपति द्वारा अध्ययन संकायों के डीनों के साथ सलाह मशविरा करके प्रत्येक विभाग को वितरित की जाएंगी।

23.2 रिसर्च स्कॉलरों को विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर तय की गई राशि के रूप में शिक्षण एवं अनुसंधान फेलोशिप प्रदान की जा सकती है। प्रदान की गई स्कॉलरशिप की समीक्षा प्रत्येक सिमेस्टर पर की जाएगी, जो सम्बद्ध आरएसी द्वारा प्रदत्त कार्य निष्पादन रिपोर्ट पर आधारित होगी।

23.3 फेलोशिप की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बीआरएस की अनुशंसा पर अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। फेलोशिप का जारी रहना इस कार्यक्रम के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन में संतोषजनक अनुसंधान कार्य निष्पादन और संतोषजनक शैक्षिक कार्य निष्पादन के अधीन होगा।

23.4 पाठ्यक्रम में दाखिला और फेलोशिप प्रदान किया जाना परस्पर सम्बद्ध नहीं है। किसी पाठ्यक्रम में दाखिले का मतलब फेलोशिप प्रदान किए जाने की गारंटी नहीं है। जिन स्कॉलरों को फेलोशिप प्रदान न की जाए, वे स्व-वित्त स्कॉलरों के रूप में पाठ्यक्रम जारी रख सकते हैं।

23.5 प्रारंभ में, फेलोशिप छमाही आधार पर प्रथम सिमेस्टर में कोर्स वर्क संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद जारी की जा सकती है, परंतु, पंजीकरण की पुष्टि होने के बाद यह मासिक आधार पर प्रदान की जाएगी।

23.6 अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के सभी टीआरएफ्स को प्रति सप्ताह 6 से 8 घंटे की अवधि की थीअरी या प्रैक्टिकल कक्षाएं/ट्यूटोरियल्स पूरे करने होंगे तथा समय समय पर अन्य दायित्व जैसे इंटरनशिप/असाइनमेंट की जांच/इन्विजिलेशन ड्यूटी आदि को भी अंजाम देना होगा।

24. फीस :

ट्यूशन फीस विश्वविद्यालय द्वारा तय की जाएगी और वार्षिक आधार पर विश्वविद्यालय की सूचना पुस्तिका में अधिसूचित की जाएगी। जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, रिसर्च स्कॉलर/टीआरएफ से सिमेस्टर/वार्षिक आधार पर पूरी फीस वसूल की जाएगी, जो उन्हें खंड 19 के अनुसार पीएच.डी थीसिस जमा कराने तक देनी होगी।

25. पीएच.डी पंजीकरण रद्द किया जाना :

25.1 कुलपति के विधिवत अनुमोदन के बाद निम्नांकित में से किसी एक स्थिति में पीएच.डी स्कॉलर का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा :

- (i) अगर उसने पीएच.डी पाठ्यक्रम से त्यागपत्र दे दिया हो और बीआरएस द्वारा त्यागपत्र को विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया हो;
- (ii) अगर वह इस अध्यादेश में वर्णित प्रावधानों के अधीन किसी सिमेस्टर में अपने पंजीकरण का नवीकरण कराने में असफल रहा/रही हो;
- (iii) अस्थायी पंजीकरण की पुष्टि न की गई हो;
- (iv) खंड 16 के संदर्भ में उसकी शैक्षिक प्रगति असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में;
- (v) उसके दुराचरण और/या अनुशासनहीनता के कृत्य में शामिल पाए जाने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे बर्खास्त करने की सिफारिश की गई हो।

26. पंजीकरण का स्थानांतरण :

तत्कालीन एन.एस.आई.टी. का ऐसा रिसर्च स्कॉलर जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएच.डी.डिग्री के लिए पंजीकरण कराया हो और वह खंड 5.1 में निर्धारित एनएसयूटी के पीएच.डी पाठ्यक्रम में पंजीकरण के लिए अपेक्षित योग्यता रखता/रखती हो, तो ऐसे रिसर्च स्कॉलर को बीआरएस के अनुमोदन के अधीन एनएसयूटी में अपना पंजीकरण स्थानांतरित कराने की अनुमति दी जा सकती है। परंतु यह अनुमति समुचित स्तर पर रिसर्च स्कॉलर द्वारा पहले से अर्जित क्रेडिटों की संख्या पर विचार करने अर्थात् उसके द्वारा अर्जित कोर्स वर्क क्रेडिटों के आधार पर दी जाएगी, जो प्रस्तावित अनुसंधान योजना के अनुसार पूर्ण या आंशिक रूप में हासिल किए गए हों और उसने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कोर्स वर्क भी पूरा कर लिया हो। परंतु, ऐसे उम्मीदवारों को सुपरवाइजर/सुपरवाइजर्स से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम से पीछे हटने/त्यागपत्र देने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ अन्य सहायक दस्तावेज जैसे पिछले पंजीकरण का पत्र, कोर्स वर्क पूरा होने का प्रमाणपत्र, पंजीकरण की पुष्टि होने का पत्र और सुपरवाइजर या सम्बद्ध विभागाध्यक्ष की अनुमति आदि संलग्न किए जाने चाहिए।

27. सामान्य :

अध्यादेश में निम्नांकित अनुसार किसी बात के होते हुए भी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और/या यूजीसी/और/या एनएसयूटी के प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित और/या जारी पात्रता मानदंड/दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय के पीएच.डी पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संदर्भ में लागू होंगे।

28. व्याख्या :

इस अध्यादेश की व्याख्या अथवा अन्य किसी वजह से कोई संदेह अथवा कोई अन्य विवाद होने की स्थिति में उसे सीनेट के चेयरमैन को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय इस बारे में अंतिम होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
रजनिश सिंह, संयुक्त निदेशक/संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION**NOTIFICATIONS**

Delhi, the 6th August, 2019

F.No. 1(100)/FIRST ORDL/SB/DTTE/2018/1589.—The following Ordinance made by the Vice-Chancellor of Netaji Subhas University of Technology in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 33 of the Delhi Netaji Subhas University of Technology Act, 2017 (Delhi Act 6 of 2018), with the approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, relating to Admission to Courses of Study, Conduct and Evaluation of Examinations for Ph.D. degree hereby published, namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT – (a) This Ordinance may be called **the Netaji Subhas University of Technology (First) Ordinance, 2019.**

(b) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

2. DEFINITIONS:

- i. **“Applicant”** shall mean an individual who applies for admission to the Ph.D. programme of the Netaji Subhas University of Technology (henceforth referred as NSUT) on a prescribed Application Form as notified in the University prospectus;
 - ii. **“Course Work”** shall mean courses of study prescribed by the Board of Research Studies through the Supervisor to be undertaken by a student registered for the Ph.D. Degree.
 - iii. **“Dean, Faculty of Studies”** shall mean the Dean, Faculty of Studies of NSUT.
 - iv. **“Degree”** shall mean the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) of the Netaji Subhas University of Technology.
 - v. **“Educational Institution”** shall mean those recognized colleges /institutions/ universities which offer Bachelor’s Degree or higher.
 - vi. **“Faculty Member”** shall mean Assistant Professor/ Associate Professor/ Professor of the NSUT including re-employed Professor, Visiting Professor, Emeritus Professor, Adjunct Professor, Professor of Eminence, Honorary Faculty/Professor etc.
 - vii. **“NDF”** National Doctoral Fellowship shall mean Fellowship granted to the research scholars by All India Council for Technical Education for carrying out full time research in the All India Council for Technical Education approved Institutions/ Universities.
 - viii. **“Research Council”** shall mean Research Council of the University.
 - ix. **“Registration Period”** shall mean the length of time span commencing with the date of provisional registration at the University till the completion of the Ph.D. programme.
 - x. **“Research Scholar”** shall mean a person registered for the Ph.D. Degree devoting full time for completing the degree requirements.
 - xi. **“Second Work Place”** shall mean a Research Laboratory/Research Centre/Research & Development Organization/ Academic Institute/ Faculty of Studies/ Centre for Advanced Studies and Research /Industry/Government Department/Public Sector Undertakings approved as second work place of any Research Scholar by NSUT for carrying out wholly/partly research work leading to the degree of Doctor of Philosophy of the University.
 - xii. **“Sponsored Research Scholar”** shall mean a person, sponsored by Government or Private Research & Development Organizations, Public Sector Undertakings, Industries and Educational Institution of repute, which have Memorandum of Understanding with the University, registered for the Ph.D. Degree devoting full time for completing the degree requirements.
 - xiii. **“Supervisor”** shall mean a Faculty Member of the Netaji Subhas University of Technology approved by Senate on the recommendation of Board of Research Studies to supervise the research/academic work of the Research Scholar or additional supervisor(s) appointed, as per Clause-13.
 - xiv. **“University”** shall mean Netaji Subhas University of Technology, Delhi.
- 3. GENERAL GUIDELINES** – The programme leading to degree of Doctor of Philosophy shall be conducted by All the Departments/Faculties of Studies of the University with the following general provisions, namely:-
- 3.1** A Research Scholar shall be required to complete all requirements for the award of the degree within a period specified in the ordinance.

- 3.2 The minimum entry qualifications for admission to the Ph.D. programme shall be as per Clause-5 of the Ordinance.
- 3.3 A Research Scholar registered for the Ph.D. programme shall be required to satisfy a minimum registration period requirement, as laid-down in Clause-17 of the Ordinance.
- 3.4 A Research Scholar shall be required to earn the prescribed minimum credits through relevant courses with at least 6.5 Cumulative Grade Point Average and carry out his research work as per Clause-11 of the Ordinance.
- 3.5 A Research Scholar shall be registered provisionally in the Ph.D. programme at the time of joining.
- 3.6 The university shall not conduct the Ph.D. programme through distance education mode.
- 3.7 After confirmation of registration, a Research Scholar may be allowed to pursue part of his/her research at any other Research & Development Organization/National lab of repute/ any other University, within the country or abroad with the approval of the Board of Research Studies, which shall be designated as the second work place for the research scholar, provided adequate research facilities in the respective research area are available at such places.
- 3.8 After confirmation of Ph.D. registration, if the research scholar gets employed in any organization within Delhi NCR, he/she shall be allowed to continue with the research program without fellowship provided he/she undertakes to devote sufficient time in the University beyond office hours and on weekends. This provision can be exercised only with due recommendation of Research Advisory Committee and approval of the Board of Research Studies. Furthermore, he/she shall have to fulfil all other requirements as per ordinance.
- 3.9 The award of the Ph.D. Degree shall be made to a successful Research Scholar in accordance with the Ordinance of the Netaji Subhas University of Technology as per Clause-22.
- 3.10 In addition to the research work, all Research Scholars with fellowship from other agencies/organizations have to undertake Practical classes/Tutorials to an extent of 4-6 hours per week along with other duties like Internships/checking of assignments/ Invigilation duties etc. as assigned to them from time to time.

4. COMPOSITION AND FUNCTIONS OF RESEARCH COUNCIL, BOARD OF RESEARCH STUDIES AND RESEARCH ADVISORY COMMITTEE:

There shall be following Research Council, Board of Research Studies and Research Advisory Committee to conduct and supervise the Ph.D. programmes, namely:-

4.1 RESEARCH COUNCIL – There shall be a Research Council to lay down the broad policy guidelines pertaining to Ph.D. programmes in all the Faculties of Studies of the University, consisting following persons namely:-

- (i) Vice-Chancellor - Chairman (Ex-officio)
- (ii) All Deans of the University - Members (Ex-officio)

However, the Concerned Head(s) of the Department(s) shall be invited member(s), if any specific case is to be discussed. Dean, Academics will act as Convenor of the Council.

The Research Council shall ensure uniform implementation of the Ordinance and provide advice on procedural and related matters pertaining to Ph.D. programme(s) for all the Faculties of Studies.

4.2 BOARD OF RESEARCH STUDIES (BRS):

(A) Each Faculty of Studies having one or more Departments/Academic Centre(s) offering Ph.D. programme shall have Board of Research Studies. All members of the Board of Research Studies must possess qualifications to act as supervisors as per Clause-13. The composition of Board of Research Studies shall be as follows:-

- (a) Dean of the respective Faculty - Chairman (Ex-Officio)
- (b) All Heads of the Departments - Members (Ex-officio)
- (c) Two external experts from a panel approved by the Vice Chancellor, to be nominated by the Chairman of the Board of Research Studies.
- (d) One Professor from each Department, on rotation basis, nominated by the Vice-Chancellor, or if there is no Professor in a Department then the Vice-Chancellor shall nominate either an Associate/Assistant Professor of the respective Department or a Professor from some other Department:

Provided that concerned Supervisor(s) of the Research Scholar(s) may be invited as and when required.

A minimum of 50% of total members including at least one external expert shall constitute the quorum necessary for holding the meeting. The tenure of the nominated members shall be two years.

- (B) Normally, the Board of Research Studies meeting shall be held at least once in every three months or earlier, depending on urgency of individual cases.
- (C) Board of Research Studies shall have the following responsibilities :
- (i) The Board of Research Studies shall supervise all academic matters related to the Ph.D. degree.
 - (ii) The Board of Research Studies shall keep monitoring the progress of the Scholars of all the Departments under the Faculty of Studies and shall ensure proper implementation of Ordinance.
 - (iii) The Board of Research Studies shall consider and examine the recommendations of the Supervisors/ Research Advisory Committee pertaining to Provisional Registration, Evaluation of Research Proposal, Confirmation of Registration, and Extension of Ph.D. duration etc. for ratification / recommendation, as applicable.
 - (iv) The office of the Chairman of the Board of Research Studies shall maintain all the records of registration and the progress of the research work of the Research Scholars.

4.3 RESEARCH ADVISORY COMMITTEE (RAC):

(A) There shall be a Research Advisory Committee for each Department. The composition of Research Advisory Committee shall be as follows:

- (a) Head of the Department as Chairman (Ex-Officio)
- (b) Two external experts in the relevant area from the panel approved by the Vice Chancellor, to be nominated by the Chairman of the Research Advisory Committee.
- (c) One Professor from the Department nominated by the Dean of respective faculty or if there is no Professor in a Department then the Dean of Faculty shall nominate either an Associate/Assistant Professor of the respective Department.
- (d) One Professor from other Department nominated by the Dean of respective faculty.
- (e) Concerned Supervisor(s) of the Research Scholar.
- (f) One faculty member as Convener nominated by the Head of the Department.

A minimum of 50% of total members, including at least one external expert, shall constitute the quorum necessary for holding the meeting. The tenure of nominated members shall be two years.

(B) Research Advisory Committee shall have the following responsibilities:

- (i) To review the research proposal and finalize the topic of research;
- (ii) To advise the research scholar to develop the study, design and methodology of research and identify the course(s) that he/she has to complete;
- (iii) To periodically review the progress of the research work of the Research Scholar and advise accordingly.

(C) The research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in every six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six-monthly progress reports with the comments of the Research Advisory Committee shall be submitted to the office of the Dean, Faculty of Studies with a copy to the research scholar.

(D) In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to comply with these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend to the Board of Research Committee with specific reasons for cancellation of registration of the research scholar.

5. MINIMUM QUALIFICATION CRITERIA FOR ADMISSION:

5.1 An applicant possessing a Master Degree in Engineering/Technology/Sciences/ Management/Humanities/ Social Sciences in the respective discipline or equivalent with a minimum 60% of marks or equivalent Cumulative Grade Point Average (CGPA) and Bachelor's Degree with a 60% of marks or equivalent Cumulative Grade Point Average shall be eligible to apply for admission to Ph.D. programme of the University.

5.2 However, the candidates applying for Teaching-cum-Research Fellowship shall be required to have a Master Degree in the respective discipline with 70% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average and Bachelor's Degree with a 60% of marks or equivalent Cumulative Grade Point Average.

5.3 In case, the equivalence between the percentage of marks and Cumulative Grade Point Average is not defined by the University from where the candidate has obtained the qualifying degree, then the University Grants Commission/All India Council for Technical Education equivalence criteria shall be applicable.

6. RESERVATION/RELAXATION:

6.1 In all the Ph.D. programmes of the University, reservation of seats for applicants in all the categories including SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-abled applicants shall be in accordance with the policies of Govt. of National Capital Territory of Delhi.

6.2 SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-abled applicants may be permitted 5% marks relaxation in the eligibility requirement at Master's level or Bachelor's level as prescribed in the Clause-5.1 & 5.2.

6.3 Any seat(s) remaining vacant in the above categories shall be filled by the candidates from unreserved category.

7. SELECTION PROCEDURE FOR ADMISSION:

7.1 The Research Scholars shall be admitted in two-stage process through an Entrance Test and an Interview. The candidates who have secured a minimum qualifying marks of 50% in the entrance test shall be called for interview. The interview shall be conducted by a committee as prescribed in Clause-7.14.

The Interview Committee shall judge the following, namely:-

- (i) That the candidate possesses aptitude and competence to carry out the research in the intended area;
- (ii) That the proposed research idea can be suitably undertaken in the Department; and
- (iii) That the proposed research may contribute to the creation of new/additional knowledge in the chosen area.

However, in case of Teaching-cum-Research Fellows, the committee shall also judge the teaching ability of the candidates in addition to the parameters as prescribed in (i) to (iii) above.

7.2 The selections may be held twice in a year, if required.

7.3 Interview for Teaching-cum-Research Fellowship and all other candidates shall be organised separately.

7.4 The weightage of entrance test and the interview shall be 70% and 30% (including 10% weightage on credentials as decided by the Board of Research Studies), respectively.

7.5 The syllabus for the entrance test shall consist of 50% questions on Research Aptitude/Methodology which may include quantitative methods/computer applications, experimental techniques etc. and 50% subject specific questions. The syllabus for the entrance test shall be approved by the Board of Research Studies.

7.6 The University shall notify the detailed information well in advance, through its website and through advertisement in at least two national newspapers. Detailed information along with admission procedure/brochure/syllabus shall be put up on the University website well in advance.

7.7 The Controller of Examinations shall arrange for the screening of the applications to short list the eligible candidates and shall also arrange issuing of admit cards to the eligible candidates.

7.8 The Controller of examination shall arrange the requisite number of question papers for the entrance test in the concerned areas of research department-wise.

7.9 The entrance test shall be conducted by the Controller of examination. He shall collect the interview (including credentials) marks from the Chairman of Interview Committee and prepare department wise final merit list based upon scores in the entrance test and interview (including credentials), and shall notify the same.

7.10 No relaxation with regard to eligibility conditions as laid down in the Clause-5.1 will be provided to the candidates who have qualified University Grants Commission-National Eligibility Test (including Junior Research Fellow/University Grants Commission-Council for Scientific & Industrial Research National Eligibility Test (including Junior Research Fellows)/ DBT-JRF, ICMR-JRF, DST-INSPIRE or equivalent national level examination/ fellowship (as identified by Board of Research Studies)/valid Graduate Aptitude Test Engineering score holder. They shall have to appear in both, the entrance test and the interview. However, the candidates with fellowship as identified by Board of Research Studies shall be given full weightage in credentials.

7.11 Project staff under projects, sponsored by Department of Science and Technology/University Grants Commission/any Government agency, Industry or centres established from grant-in-aid from Government or international agencies at Netaji Subhas University of Technology, may be given administrative clearance to seek admission, subject to recommendations of the concerned Principal Investigator of the said project/centre

and approval of the respective Board of Research Studies and Vice-Chancellor, but shall be required to fulfil the eligibility conditions as laid down in Clause-5.1 and shall have to appear in the entrance test and interview.

7.12 The Candidates from Research & Development Organizations/ Institutions/ Public Sector Undertakings/Industries/Foreign Universities which have Memorandum of Understandings with Netaji Subhas University of Technology may be exempted from the entrance examination and can be called directly for interview as sponsored candidates subject to the fulfilment of the minimum entry qualification for the degree as given in Clause-5.1.

provided that-

(i) The applicant is having at least two years' experience in regular capacity;

(ii) The applicant shall prove to the satisfaction of the University that his official duties permit him to devote sufficient time to research;

(iii) The applicant can devote sufficient time to pursue research in the concerned Department of the Netaji Subhas University of Technology on daily basis or if sufficient facilities for research are available at the applicant's place of work in the chosen field of research. Provided that the same is approved by the Board of Research Studies as his/her second place of work.

(iv) He/she shall be required to reside at the Netaji Subhas University of Technology till the completion of his/her course work. This condition of minimum residence shall be automatically waived off for the candidate working in the Delhi National Capital Region.

7.13 The regular faculty members of NSUT/any Institution of Government of National Capital Territory of Delhi., who want to get registered for the Ph.D. Programme, may be exempted from the entrance examination and may be called directly for the interview subject to submission of Non-Objection Certificate from the competent authority of the respective Institution.

7.14 The interview shall be conducted by a Committee whose composition shall be as follows:

(i) Dean of respective Faculty of Studies - Chairman (Ex-Officio).

(ii) Two subject experts from the panel approved by the Vice Chancellor, to be nominated by the Chairman of the Committee.

(iii) Two senior faculty members of the department, nominated by the Dean of the concerned Faculty.

(iv) A representative of the SC/ST/OBC/Differently-abled Category from the panel approved by the Vice-Chancellor.

(v) Head of the concerned Department, Convener (Ex-Officio).

7.15 Admissions to the Ph.D. programmes may be made in each semester, if necessary.

8. FOREIGN NATIONALS/NON- RESIDENT INDIANS (NRIs)

8.1 Self-supporting Foreign nationals/Non-Resident Indians fulfilling the eligibility criteria may be registered for Ph.D. programme.

8.2 They shall be exempted from the written test but they have to appear in the interview through video conferencing or any such other means. They may be admitted based on their performance at the interview, and the approval of their research proposal by the Supervisor(s) and the concerned Board of Research Studies.

8.3 They must provide the evidence of language competence in English.

8.4 The admission of foreign nationals/Non-Resident Indians shall be subject to the verification of equivalence of their qualifying degrees from Association of Indian Universities.

9. PROVISIONAL REGISTRATION:

9.1 After the merit list of candidates received from the Controller of Examination, the offer letter shall be issued to the selected candidates, depending on the availability of seats in the concerned Department, by the Dean, Academic Affairs, giving fifteen days of time for admission.

9.2 Research Advisory Committee shall meet within a week from the last date of admission for the allotment of Supervisor in the area as preferred by the candidates in their application form.

9.3 The date of the first Research Advisory Committee meeting held for the allotment of Supervisors, shall be the date of provisional registration of the candidates.

10. RENEWAL OF REGISTRATION:

- 10.1** Every Research Scholar shall be required to renew the registration at start of every semester till the submission of the thesis. The renewal of registration shall be subject to completion of specified number of credits/courses and/or satisfactory progress in his research work as approved by Research Advisory Committee.
- 10.2** A Research Scholar, who fails to renew his registration and fails to pay the requisite semester fee, shall cease to be a Research Scholar with immediate effect.
- 10.3** In exceptional cases of de-registration, the Vice-Chancellor shall have the power to allow re-registration of the Research Scholars.

11. COURSE WORK:

- 11.1** Each research scholar shall be required to take course work as prescribed by the Research Advisory Committee.
- 11.2** (a) Every Research Scholar shall be required to complete at least four courses of four credits each in the first semester. However, if the candidate fails to complete the course in the first semester, the period for completion of course work may be extended upto second semester on the recommendation of Research Advisory Committee.
- (b) A minimum of one course of four credits or more courses on Research Methodology shall be prescribed, which may include quantitative methods, computer applications, research ethics, literature review, training, field work, experimental techniques etc. Other courses may be prescribed from the existing M.Tech/ M.Sc/ MBA courses relevant to the area of research and/or a maximum of one on-line course from National Program for Technology enhanced Learning as approved by the Research Advisory Committee. It is further expected that the Research Scholar shall successfully qualify in the *Evaluation of Research Proposal* as per Clause-14, soon after completing the course requirement but in no case beyond the time stipulated in the Clause-14.5.
- 11.3** A requirement of minimum 6.5 Cumulative Grade Point Average in course work or equivalent Cumulative Grade Point Average in case of on-line National Program for Technology enhanced Learning grade would be mandatory for continuing the Ph.D. programme. If the grade obtained by any scholar in the prescribed course work is below the required Cumulative Grade Point Average, the Research Scholar has to take up additional courses to bring up the aggregate grade equal to or above 6.5 Cumulative Grade Point Average subject to the condition that this should be achieved within first two semesters, failing which his/her registration may be terminated.
- 11.4** In case of re-registration for Ph.D. programme, the Board of Research Studies may accept the credit earned by a Research Scholar at this University during his/her earlier Ph.D. registration, except in cases where the Research Scholar has changed his/her area of research or has changed his/her Department. The Research Scholars who have been terminated on disciplinary grounds, shall not be re-registered.

12. ATTENDANCE AND LEAVE:

A Research Scholar who is getting financial assistance from any source shall be entitled to avail leaves as per leave/attendance rules given below which may be amended from time to time.

- 12.1** A Research Scholar after having completed the course work must attend to his/her research work on all working days and mark attendance except when he/she is on duly sanctioned leave.
- 12.2** A Research Scholar shall be entitled for leave of thirty days per academic year.
- 12.3** A Research Scholar shall not be entitled to summer and winter vacation.
- 12.4** In addition to the above leave, the Research Scholars are entitled to get fifteen days leave per academic year on medical ground. The medical leave, if not availed either partly or completely in the current year, shall be carried forward to the next year(s).
- 12.5** Leave beyond thirty days in an academic year may be granted to a Research Scholar in exceptional cases, by the Head of the Department concerned without fellowship/ scholarship.
- 12.6** The female Research Scholar shall be entitled for maternity leave as per University Grants Commission/All India Council for Technical Education norms subject to the approval of competent authority. The Supervisor(s) shall report the absence of Research scholar from the research work due to illness/maternity leave to Board of Research Studies through the Head of Department.
- 12.7** The leave shall be subject to the approval of the Head of Department concerned on the recommendations of the Supervisor and a proper leave account of each Research Scholar shall be maintained by the Department concerned.

13. THESIS SUPERVISOR(S):

- 13.1** Every admitted scholar shall be assigned a Research Supervisor(s) by the concerned Research Advisory Committee taking into consideration the preference of area mentioned in the application form by the Research Scholar, the consent of the prospective supervisor and the availability of seats with the supervisor concerned.
- 13.2** A supervisor shall be any *faculty member* of the University as defined in this Ordinance. A faculty member of NSUT may be appointed as a Supervisor provided he/she shall have:
- (a) A Ph.D. degree from a recognized university/institution.
 - (b) (i) At least five publications in refereed journals, out of which at least three must be in Science Citation Indexed/Science Citation Index-expanded journals for the Supervisors from discipline of Science and Engineering, or
(ii) At least five publications in the University Grants Commission-approved refereed journals identified by the Board of Research Studies, for the Supervisors from disciplines other than Science and Engineering.
 - (c) The existing number of students already registered with him/her shall not exceed the maximum limits prescribed in Clause-13.3.
- 13.3** The maximum number of students to be supervised at one time by a faculty member, shall be as follows:
- (1) Assistant Professor: four Research Scholars.
 - (2) Associate Professor: six Research Scholars.
 - (3) Professor: eight Research Scholars.

In case of joint supervision, an enrolled research scholar shall be counted as one each for all the Supervisors.

However, out of the maximum number of research scholars allotted to the faculty members as above, a maximum 50% of them shall be Teaching-cum-Research Fellows receiving financial assistance from the University and Quality Improvement Programme/National Doctoral Fellowship scholars sponsored from All India Council for Technical Education, and another 50% shall be the scholars with fellowship from other sponsoring agencies/University Grants Commission-Junior Research Fellow/Projects or the scholars without fellowship.

- 13.4** The Supervisor(s) shall be appointed during the first semester.
- 13.5** The Board of Research Studies, on the recommendations of the supervisor(s) and the concerned Research Advisory Committee, may allow joint Supervision but not exceeding a total of three Supervisors to supervise a Research Scholar with the condition that there shall not be more than two supervisors from within the University. The Supervisor(s) shall also be required to fulfil the mandatory requirements as listed in Clause-13.2(a) and 13.2(b).
- 13.6** Appointment of any additional Supervisor(s) would not be made after a lapse of eighteen calendar months from the date of provisional registration of the scholar except when none of the supervisor is in the University for a period of a year or more at a stretch.
- 13.7** The Board of Research Studies on the recommendation of the Supervisor and Research Advisory Committee, shall approve Scholar(s) of eminence who may be from outside NSUT (within the country or abroad), as Supervisor(s).
- 13.8** A faculty member appointed as Ph.D. supervisor is normally expected to be available to a Research Scholar in the University till the oral defence of his/her Ph.D. thesis work. However, under unavoidable circumstances, such as long leave of more than twelve months, resignation; retirement; or death; a supervisor may not be available to the scholar. In such special cases, appointment of supervisor(s) shall be regulated as under:
- (a) If a supervisor proceeds on leave or on lien of more than twelve months:-
 - (i) Where an additional supervisor exists, the supervisor proceeding on long leave for more than twelve months can continue the joint-supervision.
 - (ii) Where joint-supervision does not exist, an additional Supervisor may be appointed by the Board of Research Studies in cases where a student has not yet submitted his thesis.
 - (b) (i) Provided, if the thesis is submitted before the supervisor proceeds on leave, he shall continue to be the supervisor.
(ii) Provided further, if a supervisor proceeds on leave for a period less than twelve months initially, but later extends his leave beyond twelve months, the above procedure shall be followed.

- (c) In any exceptional situation like resignation, retirement, or death; an additional supervisor shall be appointed even after eighteen months from the date of provisional registration if required, on the recommendation of Board of Research Studies and approval of senate.

14. EVALUATION OF RESEARCH PROPOSAL

- 14.1** After clearing the required Ph.D. course work with at least 6.5 Cumulative Grade Point Average, each Research Scholar shall present himself/herself for the Evaluation of his/her Research Proposal before the Research Advisory Committee.
- 14.2** Research Advisory Committee shall test the Research Scholar comprehensively on the basis of viva examination and Power Point presentation in the broad field of research along with the suitability of the research proposal, his academic preparation, and the potential to carry out the proposed research. The minimum passing marks for comprehensive viva examination shall be 60%.
- 14.3** The Research Advisory Committee, on the basis of the performance of the Research Scholar, shall make one of the following recommendations:
- (i) Passed in comprehensive viva examination and the Research plan approved.
 - (ii) Advised to re-appear and re-submit the research plan keeping in view the suggestions of the committee and to be re-evaluated after a defined period of time.
- 14.4** All Research Scholars must present themselves for the evaluation of their research proposals after completion of course work but not beyond eighteen months from the date of provisional registration, failing which their Ph.D. registration may be cancelled.
- 14.5** A Research Scholar shall be provided a maximum of two attempts to pass the Evaluation of Research Proposal, failing which his/her provisional registration may be cancelled.

15. CONFIRMATION OF PH.D. REGISTRATION:

- 15.1** On successful evaluation of the research proposal, the recommendation of Research Advisory Committee shall be submitted to Board of Research Studies for confirmation of Ph.D. registration of the Research Scholar.
- 15.2** The date of confirmation of Ph.D. registration shall be the date on which the Board of Research Studies confirms the registration.
- 15.3** It shall be mandatory for every Research Scholar to get his/her registration renewed in each semester after obtaining recommendation from Research Advisory Committee based on his/her performance.

16. PERFORMANCE MONITORING:

- 16.1** Each Research Scholar shall be asked to submit a progress report at the end of each semester to his/her Supervisor(s). On receipt of the progress report, the Research Advisory Committee concerned shall review the same and advise the Research Scholar accordingly.
- 16.2** The academic calendar shall include the following dates for the submission of progress reports:
- (i) Odd semester: 15th December,
 - (ii) Even semester: 15th June.
- If any date as in (i)–(ii) is a holiday then the next working day shall be considered.

In exceptional cases, the Dean, Faculty of Studies may condone the delay in submission of the progress report.

16.3 A satisfactory report would be mandatory for continuation of research programme/fellowship.

- 16.4** If the progress is 'unsatisfactory', the report must indicate 'Unsatisfactory Progress' and must include appropriate action to be taken in this regard. For the first appearance of 'Unsatisfactory Progress' report, a warning will be issued to the Research Scholar. Subsequently, the fellowship of the Research Scholar will be stopped.
- 16.5** If there are two consecutive 'Unsatisfactory Progress' reports, the registration may stand terminated.
- 16.6** Submission of progress report in each semester shall continue till the submission of the Ph.D. thesis.
- #### **17. MINIMUM AND MAXIMUM REGISTRATION REQUIREMENT:**
- 17.1** The duration of Ph.D. programme shall be for a minimum period of three years and a maximum period of six years from the date of provisional registration.

- 17.2** In exceptional cases, the Vice-Chancellor on the recommendation of the Supervisor, Research Advisory Committee and the Board of Research Studies may grant a relaxation up to maximum of six months in the minimum duration for the submission of thesis.
- 17.3** In exceptional cases, the Vice-Chancellor on the recommendation of the Supervisor, Research Advisory Committee and the Board of Research Studies may grant a relaxation up to maximum of one year in the maximum duration for the submission of thesis on the basis of six-monthly progress report.
- 17.4** The women candidates and persons with Disability (more than 40% disability) shall be allowed a relaxation on six-monthly basis up to a maximum period of two years in the maximum duration by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Supervisor, Research Advisory Committee and the Board of Research Studies.
- 18. PRE-PH.D. SUBMISSION SEMINAR**
- 18.1** On completion of the research work, every research scholar shall give a Pre-Ph.D. submission seminar before the Research Advisory Committee which shall also be open to all faculty members and other students.
- 18.2** The feedback and comments (including final title of thesis) obtained from them may be suitably incorporated in the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee.
- 18.3** After Pre-Ph.D. submission seminar, the exact title of the thesis shall be confirmed by the Research Advisory Committee.
- 19. Ph.D. THESIS SUBMISSION:**
- 19.1** The Research Scholar shall submit his/her thesis along with the synopsis within three months from the date of pre-Ph.D. submission seminar. However, in case a Research Scholar fails to submit his/her thesis within the stipulated time and has suitable justification for the same, the Dean, Faculty of Studies may grant him/her extension of time by not more than three months on recommendation of the concerned Research Advisory Committee, based on individual merits of each case. The Research Scholar may be allowed to submit his/her thesis within a period not exceeding six months, otherwise he/she shall have to reappear in pre-Ph.D. submission seminar.
- 19.2** The thesis shall be written in English in the specified format and shall contain a critical account of the research which should be characterized by the discovery of facts or a fresh interpretation of the facts and theories or significant original contribution to the advancement of knowledge or a combination of these. It should also bear evidence of the Research Scholar's analytical ability to carry out independent investigation, design or development. The content of the thesis should not have been submitted for the award of any other degree from any university. A certificate to this effect should be provided by the Research Scholar and his Supervisor(s).
- 19.3** A Research Scholar may submit his thesis within the time period as stipulated in the Clause-17 provided that:
- (i) He/she has successfully completed the required course work as per Clause-11 and declared 'pass' in the Evaluation of Research proposal as per Clause 14.
 - (ii) (a) Research Scholar from discipline of Science and Engineering has published at least three research papers in the refereed journals of repute, out of which at least two must be in the Science Citation indexed/ Science Citation Index-expanded journals (or produced the evidence in the form of acceptance letter), or
(b) Research Scholar from the discipline other than Science and Engineering has published at least three research papers in the journals identified by BRS from University Grants Commission approved refereed journals.
 - (iii) He/she should also have the evidence of presentation of two research papers in the national/international conferences.
- 19.4** The Research Scholar shall submit five copies of the thesis with a soft cover along with the soft copy as a single pdf file for evaluation.
- 19.5** In case of issues related to Intellectual Property Rights, necessary patents shall be filed before disclosure in the Pre-Ph.D. Submission Seminar.
- 19.6** The University shall evolve a mechanism using well-developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic unethical practices. Each thesis shall go through a Plagiarism Check that shall be verified by the concerned supervisor(s) before thesis submission. The certificate of verification by the concerned supervisor has to be submitted along with the thesis at the time of thesis submission to Dean, Faculty of Studies.

19.7 The research scholar may incorporate in the thesis the contents of any work published by him/her on the subject during the course of his/her Ph.D. and shall indicate the same in the thesis. If any content of the published work authored by multiple authors has been incorporated in the thesis of one of the authors, then the same content cannot be included by any of the other co-authors for award of any degree. In this regard, a concurrence from all the co-authors shall also be taken before submission of the thesis.

19.8 The research scholar shall also attach a Student Approval Form in the prescribed format for hosting and distributing their thesis in digital format in 'Shodhganga', or any other server designated for this purpose by the University Grants Commission.

20. APPOINTMENT OF EXAMINERS:

20.1 Upon submission of synopsis and the Ph.D. thesis by the Research Scholar, the Supervisor shall forward the following to the Dean, Faculty of Studies, through the Head of Department: (i) Five copies of the Ph.D. Thesis (ii) Five copies of the Synopsis of the thesis (iii) Certificate of Plagiarism check from the Supervisor and (iv) The proposed Panel of Examiners duly signed by the supervisor(s) in a sealed cover, addressed to the Controller of Examination, which shall include at least five examiners from within the country and three examiners from abroad.

20.2 All the proposed examiners should be of the rank of Professor or equivalent in the areas relevant to the Ph.D. thesis and fulfil the minimum eligibility conditions to become supervisors as prescribed in the Clause-13.2(b).

20.3 A person working in the same laboratory (ies)/Institution(s) where the Research Scholar is employed cannot, however, be appointed as External Examiner for evaluating the thesis of that Research Scholar. Further, no person can be appointed as External Examiner from Laboratory/Institution to which one of Supervisor(s) of the Research Scholar belongs.

20.4 On receipt of the synopsis, thesis and all other documents as listed in Clause 20.1, the Dean, Faculty of Studies shall forward the same to the Controller of Examination along with one additional panel of examiners duly signed by him/her in a sealed envelope and addressed to the Controller of Examination.

20.5 In the panel of the prospective examiners, the detail of each of them along with his full name, exact designation, area of research/expertise, name of Department/Laboratory, name of University/Organization with complete postal address, email ID, Landline and/or mobile number shall be provided in the prescribed proforma.

21. Ph.D. THESIS EVALUATION

21.1 It would be the prerogative of the Vice-Chancellor to appoint three examiners, choosing from the two Panels of Examiners (as per Clauses 20.1 and 20.4) given by the Controller of Examination out of three examiners, at least one shall be from abroad.

21.2 The Controller of Examinations shall ensure all communication with the examiners viz. requesting for their consent to be Ph.D. Examiners, sending of both hard copy as well as soft copy of the Ph.D. thesis for evaluation, and receiving the report(s) of the examiners, by postal mail as well as through e-mail.

21.3 The examiners may recommend for -

- (i) conducting Ph.D. Viva-voce for the award of Ph.D. degree; or
- (ii) conducting Ph.D. Viva-voce for the award of Ph.D. degree subject to corrections/revisions being made in consultation with the Supervisor before viva voce; or
- (iii) re-submission of the thesis within twelve months; or
- (iv) rejection of the thesis.

21.4 The open viva-voce of the research scholar to defend the thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of all the examiners on the thesis are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If the evaluation report of only one of the examiners is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the university shall send the thesis to fourth examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the fourth examiner is satisfactory. If the report of the fourth examiner is also unsatisfactory, the thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

21.5 The Controller of Examinations shall forward the reports of all the examiners to the Dean of the respective Faculty. Dean of the concerned Faculty of Studies shall recommend an appropriate course of action as per Clause 21.4, for the approval of the Vice-chancellor. Dean of the concerned faculty shall also communicate the copy of the reports of all examiners to the concerned Supervisor. Anonymous reports of the examiners, if recommended for revision(s), shall be shared with the research scholar and the revised thesis may be submitted within twelve months from the date of communication by the Dean.

- 21.6** After receiving the satisfactory evaluation reports as per Clause 21.4, a Research Scholar shall be required to appear in the viva-voce examination before the examiner(s) nominated by the Vice-Chancellor. Dean of the concerned Faculty of Studies shall organise the viva-voce examination.
- 21.7** The open viva voce Examination may also be conducted through video conferencing, if necessary, particularly in case of Foreign Examiner(s).
- 21.8** The viva-voce examination shall be open to the members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/researchers.
- 21.9** If the thesis has undergone revision after external evaluation, the soft copies of the final version of the Ph.D. thesis, after revision, must be re-submitted to the office of Dean, Faculty of Studies. In order to ensure that the soft copy is complete and is an exact replica of the print version (accepted for award of Ph.D.), the Supervisor/Head shall authenticate the soft copy submitted by the scholar.
- 21.10** The University shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of the Ph.D. thesis within a period of six months from the date of submission of the thesis.
- 21.11** The examiner appointed as in the Clause-21.6 shall conduct the open viva-voce in presence of faculty members and the students and shall recommend to the Dean, Faculty of Studies, one of the following courses of action:
- (a) That the Ph.D. degree be awarded;
 - (b) That the Research Scholar be re-examined at a later specified time in a specified manner;
 - (c) That the Ph.D. degree shall not be awarded;
- In case of (a) and (b), the examiners shall also provide to the Research Scholar a list of all corrections and modifications in the thesis (if required) including suggestions made by the examiners during the thesis evaluation. In case of (c), the reason must be recorded in details.
- 21.12** The report in the prescribed format and duly signed by the examiner(s) shall be put in a sealed envelope along with attendance sheet and copy of notifications, all of which shall be submitted to the Controller of Examinations through the Dean of respective Faculty.
- 22. AWARD OF THE PH.D. DEGREE:**
- 22.1** The Ph.D. Degree shall be awarded by the University provided that:
- (a) The examiner appointed for viva-voce as appointed in the Clause-21.6 so recommends;
 - (b) The Research Scholar produces a 'No Dues Certificate'; and
 - (c) The Research Scholar has submitted two hard cover copies of the thesis; one for the Departmental Library and one for the Central Library after incorporation of all necessary corrections/modifications; and
 - (d) The Research Scholar has submitted one copy of the thesis in soft form after incorporation of all necessary corrections/modifications.
- 22.2** Prior to the actual award of the degree, the University may issue a Provisional Certificate to the effect that the degree has been awarded in accordance with the provisions of the University Grants Commission Regulations.
- 23. TEACHING-CUM-RESEARCH FELLOWSHIP:**
- 23.1** The number of Teaching-cum-Research Fellowship instituted by the University shall be decided by the Board of Management of the University. These fellowships shall be distributed in each Department by Vice-Chancellor in consultation with the Deans of Faculties of Studies.
- 23.2** The Research Scholars may be provided with Teaching-cum-Research Fellowship of amount decided by the University from time to time. The award of fellowship shall be reviewed every semester, based on the performance report provided by the respective Research Advisory Committee.
- 23.3** The duration of fellowship is normally for three years and shall be extended maximum for one year by the competent authority on the recommendation of Board of Research Studies. Continuation of the fellowship is subject to the satisfactory research performance and satisfactory academic performance in the discharge of responsibilities assigned to him/her.
- 23.4** The admission to the programme and award of fellowship are not linked. Admission to any programme does not guarantee the award of fellowship. Those who are not awarded fellowship can continue with the programme as self-financing scholars.
- 23.5** Initially, the Fellowship may be released after satisfactory completion of course work in the first semester on six-monthly basis, but after confirmation of registration, it shall be paid on monthly-basis.

23.6 In addition to the research work, all the Teaching-cum-Research Fellows of the University have to undertake Theory and/or Practical classes/Tutorials to an extent of 6-8 hours per week and shall also be assigned other duties like Internships/checking of assignments/Invigilation duties etc. from time to time.

24. FEES: Tuition fees shall be decided by the University and shall be notified in the University prospectus on yearly basis. Unless prescribed otherwise, full fee shall be charged from the Research Scholar/TRF on semester/annual basis, till the submission of the Ph.D. thesis as per Clause-19.

25. CANCELLATION OF PH.D. REGISTRATION:

25.1 Registration of a Ph.D. scholar shall be cancelled in any one of the following conditions after due approval of the Vice-Chancellor:

- (i) If he/she resigns from the Ph.D. Programme and the resignation is duly recommended by the Board of Research Studies.
- (ii) If he/she fails to renew his/her registration in any semester subject to the provisions contained in these Ordinance.
- (iii) If the provisional registration is not confirmed.
- (iv) If his/her academic progress is found unsatisfactory in terms of Clause-16.
- (v) If he/she is found involved in an act of misconduct and/or indiscipline and termination is recommended by a competent authority.

26. TRANSFER OF REGISTRATION:

A Research Scholar of erstwhile Netaji Subhas Institute of Technology who has registered for Ph.D. Degree in the University of Delhi and has requisite qualification for registration to Ph.D. programme of NSUT as prescribed in the Clause-5.1 may be allowed to transfer his/her registration to the NSUT, subject to the approval of Board of Research Studies, at appropriate stage taking due cognizance of the number of credits already earned by him/her i.e. his/her course work credits may be accepted fully or partly as per proposed research plan and they may have to go through additional course work, if required. However, such candidates shall be required to produce either a 'No Objection Certificate' from the supervisor(s) or documentary evidence of having withdrawn/resigned from the University of Delhi, supported by other documents such as previous registration letter, certificate of course work completion, letter of confirmation of registration, and the endorsement from the Supervisor or Head of the Department concerned.

27. GENERAL:

Notwithstanding anything contained in this Ordinance, as given above, all criteria including eligibility criteria/guidelines prescribed and/or issued by All India Council for Technical Education and/or University Grants Commission and/or Board of Management of NSUT from time to time shall be applicable for Ph.D. programme(s) of the University.

28. INTERPRETATION:

Any doubt or any other dispute arising about the interpretation of this Ordinance or otherwise shall be referred to the Chairman, Senate, whose decisions shall be final.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAJANISH SINGH, Jt. Director/Jt. Secy.